अध्याय –5 (मैन्युअल–5)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

Chapter-5 (Manual-5)

Rules, Regulations, Instruction, Manual and Records for Discharging Functions

4.1 म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूची।

अभिलेख का नाम – बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली

अभिलेख का प्रकार– निर्देशिका

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय – केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण एवं विशिष्ट फसलों के निर्धारित मानक तथा समय–समय पर केन्द्रीय बीज समिति/उप समिति द्वारा अनुमोदित नियमों एवं म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं इस कार्यप्रणाली में उल्लेखित नियमों एवं धाराओं का पालन अनिवार्य है।

कार्यप्रणाली के संबंध में प्रबंध संचालक के अधिकार – प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, कार्यप्रणाली में समय–समय पर आवश्यकतानुसार सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

कार्यप्रणाली की प्रति प्राप्त करने का पता– **मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,**
बी–2, ऑफिस काम्पलेक्स, गौतम नगर, भोपाल–462023

दूरभाष 0755–2600860, 2601455
फैक्स 0755–2583629
ई–मेल mpsscaho@gmail.com

या

संस्था के संभागीय कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली

भारत सरकार द्वारा पारित बीज अधिनियम 1966 की धारा 25 के अंतर्गत बनाये गये बीज नियम, 1968 की धारा–6 (बी) के अंतर्गत केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण परिषद के निर्देशानुसार, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश में बीज के प्रमाणीकरण के तकनीकी कार्यो हेतु यह कार्यप्रणाली जारी की जा रही है। संस्था के संचालक मण्डल की 72वीं बैठक में अनुमोदन अनुसार प्रचलित कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यप्रणाली दिनांक 15–3–2013 से प्रभावी होगी। जो ''संस्था की कार्यप्रणाली'' के नाम से जानी जावेगी। इसके साथ ही इस संस्था द्वारा पूर्व में जारी की गई ''बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली'' निष्प्रभावी हो जावेगी।

1– **बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना :–**

बीज अधिनियम–1966 की धारा–8 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में ''मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था'' की स्थापना (पंजीयन क्र.–8701) दिनांक 21.1.1980 को की गई जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है। बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण का कार्य, कृषक, बीज उत्पादक संस्थाऐं, केन्द्रीय/राज्य स्तरीय अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के सहयोग से ही पूरा होना संभव है। प्रमाणीकरण के कार्य में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण, सजगता, सक्षम एवं निष्पक्ष कार्यकर्ता तथा विशुद्ध कार्यप्रणाली की आवश्यकता है। बीज प्रमाणीकरण में संलग्न तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उत्पादकों के मार्गदर्शन हेतु यह पुनरीक्षित कार्यप्रणाली प्रसारित की जा रही है।

2– **बीज प्रमाणीकरण का उद्‌देश्य :–**

बीज प्रमाणीकरण का उद्‌देश्य फसलों की अधिसूचित किस्मों का केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण मण्डल द्वारा निर्धारित बीज प्रमाणीकरण के सामान्य नियमों तथा विभिन्न फसलों के विशिष्ट मानकों के अन्तर्गत प्रमाणीकरण करना है एवं उच्च गुणवत्ता के बीज की सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

3– **बीज प्रमाणीकरण के लिये आवश्यक अहर्ताएं :–**

केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण एवं विशिष्ट फसलों के निर्धारित मानक तथा समय–समय पर केन्द्रीय बीज समिति/उपसमिति द्वारा अनुमोदित नियमों का एवं मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा समय–समय पर जारी निदेर्शों एवं इस कार्यप्रणाली में उल्लेखित नियमों एवं धाराओं का पालन अनिवार्य है।

4– **प्रमाणीकरण हेतु फसलो/किस्मों की पात्रता :–**

केवल वे ही फसलें/किस्में जो बीज अधिनियम 1966 की धारा–5 के अन्तर्गत अधिसूचित हो बीज प्रमाणीकरण की पात्रता रखती है।

5– **बीजों की श्रेणियां :–**

5.1 प्रजनक बीज (Breeder Seed):– यह बीज, प्रजनक अथवा प्राधिकृत प्रजनक की सीधी देख–रेख में तैयार किया जाता है एवं/या जिसका उत्पादन सुशिक्षित पादप प्रजनक के पर्यवेक्षण में किया गया हो। प्रजनक बीज अनुवांशिक रूप से इतना शुद्ध होना चाहिये कि उसके, आगामी आधार श्रेणी में अनुवांशिक शुद्धता के निर्धारित मानको के अनुरूप होने की गारंटी हो।

5.1.1 प्रजनक बीज की मॉनीटरिंग हेतु संबंधित प्रजनक द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र बी.एस.पी.–2 में संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को भेजे जायेंगे। प्रजनक बीज की मॉनीटरिंग टीम में केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के निर्धारण अनुसार निम्नानुसार सदस्य होंगे–

1– संबंधित संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी।

2– संबंधित संभाग के बीज उत्पादक संस्था (बीज निगम/राष्ट्रीय बीज निगम) के संभागीय/क्षेत्रीय प्रमुख/क्षेत्र प्रबंधक।

3– संबंधित अधिकृत प्रजनक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिनिधि नामित किये जाने पर वे भी इस टीम के सदस्य होंगे।

5.2 आधार बीज (Foundation Seed) :– आधार बीज प्रजनक बीज की सन्तति होगी या ऐसे आधार बीज से प्रगुणित किया गया हो जिसका पूर्व पैतृक प्रजनक बीज हो, की पुष्टि हो सके व उसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देख–रेख में, एवं स्वीकृति से हुआ हो इस प्रक्रिया के दौरान निम्न मापदण्डों का पालन आवश्यक होगा :–

5.3 प्रजनक बीज से प्राप्त सन्तति आधार–। होगा।

5.4 ऐसा आधार बीज जो आधार–I से प्रगुणित किया गया हो वह आधार–II होगा। प्रजनक बीज की आवश्यकतानुसार बीज उत्पादक संस्था के आवेदन पर, बीज प्रमाणीकरण संस्था आधार–। से आधार–।। में बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीकृत कर सकेगी।

5.5 आधार–।। को पुनः आधार बीज प्रगुणन हेतु उपयोग में नही लाया जा सकेगा।

5.6 आधार–। व आधार–।। के प्रमाणीकरण मानक, जहां अलग–अलग निर्धारित नही किये गये हो एक समान रहेंगे व दोनो स्तरों के लिये निर्धारित मानकों के सहित सफेद रंग का टैग लगाया जावेगा।

5.7 प्रमाणित बीज (Certified Seed) :–

5.8 प्रमाणित बीज आधार बीज की सन्तति होगी और उसका उत्पादन इस तरह से हाथ में लिया जाएगा जिससे विशेष अनुवांशिक पहचान एवं शुद्धता प्रमाणित की जाने वाली फसल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी रखी जा सके।

5.9 प्रमाणित बीज,प्रमाणित बीज की सन्तति हो सकता है। बशर्ते कि यह पुर्नप्रगुणन आधार–। बीज के बाद तीन पीढ़ी से अधिक न हो और बशर्ते कि बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा यह निश्चित कर लिया गया हो कि अनुवांशिक शुद्धता एवं पहचान सार्थक रूप से परिवर्तित न हुई हो।

5.10 प्रमाणित बीज के विभिन्न स्तरों के बीजो पर भारतीय न्यूनतम बीज मानकों में निर्धारित आकार व नीले रंग के टैग लगाए जावेंगे ।

5.11 उस उत्पादन के लिये जो प्रमाणीकरण के अन्तर्गत पुनः बीज प्रगुणन का पात्र नहीं है, टैग पर '' प्रमाणीकरण के अन्तर्गत पुनः प्रगुणन का पात्र नहीं '' शब्द अंकित करना आवश्यक होगा ।

5.12 बीज उत्पादक संस्थायें/इच्छुक कृषक निम्नानुसार निर्धारित श्रृंखलाओं में से बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु किसी एक का चयन करके तदनुसार फसलों के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे :–

प्रजनक	प्रजनक
↓	↓
आधार प्रथम	आधार प्रथम
↓	↓
आधार द्वितीय	प्रमाणित प्रथम
↓	↓
प्रमाणित प्रथम	प्रमाणित द्वितीय
↓	
प्रमाणित द्वितीय	

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के अन्तर्गत सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानको के प्रावधान V के B के अन्तर्गत-3(d) अनुसार प्रमाणित द्वितीय के टैग पर "Not eligible for furthur seed increase under certification" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

5.13 प्रमाणित तृतीय की अनुमति प्रबंध संचालक द्वारा पर्याप्त एवं उचित कारणो के आधार पर दी जा सकेगी।

6– बीज प्रमाणीकरण के लिये आवेदन,निरीक्षण शुल्क एवं पंजीयन शुल्क :–

बीज प्रमाणीकरण के इच्छुक किसान, संस्थाएं इत्यादि बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

6.1 संस्था बीज उत्पादन हेतु संबंधित विभागों से पंजीकृत हो।

6.2 बीज प्रमाणीकरण कार्य हेतु बीज उत्पादक/संस्थायें/ विपणनकर्ता संस्थाओं का बीज प्रमाणीकरण संस्था में संस्थागत पंजीयन होना अनिवार्य होगा। यह पंजीयन एक वर्ष एवं तीन वर्ष हेतु निम्न शर्तो के तहत् होगाः–

<u>अ–एक एवं तीन वर्ष के लिये पंजीयन/नवीनीकरण हेतु–</u>

1– उत्पादक संस्था पंजीयन हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट–। अनुसार निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा।

2– जिन बीज उत्पादक संस्थाओ के स्वयं के स्वामित्व वाले भण्डार गृह एवं उसमें स्थापित स्वयं के बीज प्रक्रिया केन्द्र नहीं होंगे, ऐसी उत्पादक संस्थाओं का पंजीयन/नवीनीकरण एक वर्ष हेतु ही किये जावेगे।

3– उक्त पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक वैद्य होगा। वैद्यता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित संभागीय कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

6.2.1 पंजीकृत उत्पादक संस्था/उत्पादक द्वारा प्रमाणीकरण कार्यो में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर उक्त कार्य संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त किये जावेगे। परन्तु इस कार्यवाही के पूर्व संबंधित संस्था को सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट आदेश द्वारा निराकरण किया जावेगा।

6.2.2 यदि किसी पंजीकृत बीज उत्पादक संस्था द्वारा एक वर्ष (लगातार दो फसल मौसम यथा रबी, खरीफ) में कोई भी बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया जाता है, तो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर उत्पादक संस्था पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

6.2.3 बीज उत्पादक संस्था पंजीयन/नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की जांच का पूर्णतः उत्तरदायित्व संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी का होगा। संभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आवेदनों की जांच उपरांत कमियों की पूर्ति वाले आवेदन संबंधित को भेज दिये जावेंगे। जिनकी कमी पूर्ति उत्पादक संस्था द्वारा आगामी 15 दिवस में की जाना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा आवेदनो का निराकरण 30 दिन में करने की बाध्यता होगी।

6.3 इच्छुक कृषक भी उत्पादक संस्थाओं की तरह अपना पंजीयन करा सकते हैं।

6.4 बीज उत्पादक संस्थाओं/कंपनियॉ/समितियां/कृषक उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप लिये जाने वाले बीज उत्पादन कार्यक्रम की जिलेवार संभावित जानकारी संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को, निम्नानुसार अवधि में प्रस्तुत करना होगाः–

–खरीफ बीज उत्पादन कार्यक्रम...............15 जून तक।

–रबी बीज उत्पादन कार्यक्रम

अ–शीघ्र बोने वाली फसलों हेतु.................15 सितम्बर तक।

(सरसों, तोरिया, मसूर एवं अलसी)

ब–रबी की शेष फसलो हेतु........................30 सितम्बर तक।

स–ग्रीष्म फसलों हेतु......................................5 मार्च तक।

6.5 बीज उत्पादक संस्थाओ द्वारा उत्पादन कार्यक्रम हेतु पैतृक बीज के उपयोग (वितरण) के पूर्व बीज स्टाक का भौतिक सत्यापन (Stock Physical Verification) संस्था के संबंधित संभाग के अधिकारी से कराना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेशो से बीज प्राप्त होने की स्थिति में बीज अधिनियम 1966 की धारा 9 (3) में निर्धारित प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। परिशिष्ट–IV में उल्लेखित निर्धारित तिथि तक इस हेतु बीज उत्पादक संस्था को संभागीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसका भौतिक सत्यापन संबंधित कार्यालय द्वारा सात कार्यकारी दिवस में किया जावेगा।

6.6 बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु कृषक को दिये जाने वाले बीज के चालान/बिल/कैशमेमो में बीज का लाट क्रमांक, वजन व बोरियों की संख्या अंकित होना अनिवार्य होगा। बीज के चालान/बिल/कैशमेमो में प्रदायकर्ता के साथ–साथ बीज प्राप्तकर्ता के भी हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

6.7 फसल पंजीयन हेतु बीज उत्पादक संस्था/प्रक्रिया केन्द्र/वितरण केन्द्रों के प्रभारी एवं आवेदक कृषक, निर्धारित आवेदन पत्र (परिशिष्ट–।।) पूर्ण रूप से व सही–सही भरकर आवश्यक सभी संलग्नको (Enclosures) सहित प्रस्तुत करेंगें। इन अभिलेखों में प्रदाय बीज लाट का टैग, प्रजनक बीज होने पर उसका लेबल व प्रजनक प्रमाण–पत्र, मानीटरिंग टीम

रिपोर्ट, प्रदाय बीज का बिल/कैशमेमो, भू–अभिलेखों (बी–1) की सत्यापित प्रति एवं कंडिका 9 के अन्तर्गत उल्लेखित संबंधित अभिलेखों सहित निर्धारित अंतिम तिथि तक संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

6.7.1 बीज उत्पादन कार्यक्रम के पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में यथा स्थान बीज उत्पादक कृषक का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना अनिवार्य होगा। जिसका सत्यापन स्थानीय जनप्रतिनिधि (ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत एवं नगर पंचायत/नगर पालिका/निगम के सदस्य तथा विधायक/सांसद) या स्थानीय शासकीय अधिकारी से कराया जाना होगा।

6.8 प्रत्येक फसल/किस्म व श्रेणी के लिए पूर्ण रूप से सही भरा हुआ अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा ।

6.9 प्रत्येक कृषक का पंजीयन प्रत्येक मौसम में प्रत्येक उत्पादक संस्था के लिये अलग अलग होगा।

6.10 आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है ।

6.10.1 बीज उत्पादन के लिये उन्ही कृषकों के नाम से पंजीयन मान्य किया जावेगा, जिन्होंने अपने स्वयं/संयुक्त खातेदारो के खाते की भूमि पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है। शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार लीज पर ली गई भूमि पर भी बीज उत्पादन मान्य किया जा सकेगा।

अ– व्यक्तिगत बीज उत्पादक कृषक (Individual Seed Grower) द्वारा फसल पंजीयन आवेदन के साथ भू अभिलेख खसरा की नकल (बी–1) की छाया प्रतियॉ स्वप्रमाणित की जाकर संलग्न की जाना अनिवार्य होगा।

ब– शासकीय/अर्धशासकीय/निजी/अन्य बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा फसल पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न भू अभिलेख खसरा नकल (बी–1) की छायाप्रति बीज उत्पादक कृषक के साथ साथ बीज उत्पादक संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि/प्रभारी अधिकारी द्वारा भी सत्यापित की जाना अनिवार्य होगा।

स– बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा फसल पंजीयन आवेदन के साथ भू अभिलेख खसरा नकल (बी–1) की छायाप्रति बीज उत्पादक कृषक के साथ–साथ समिति अध्यक्ष द्वारा भी सत्यापित की जाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अभिलेख प्रमाणित/सत्यापन करने वाले कृषक/उपरोक्त उत्पादक संस्थाओं के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर के साथ नाम एवं दिनांक अंकित किये जावेंगे।

6.10.2 प्रथम फसल निरीक्षण के समय बीज स्त्रोत की पुष्टि करने हेतु संस्था के अधिकृत अधिकारी को आवश्यक प्रमाण जैसे बोये बीज की खाली बोरियां, टैग्स, लेबिल, लेड सील, बीज का बिल/कैशमेमो एवं बीज लाट्स का प्रमाणीकरण संस्था का भौतिक सत्यापन प्रपत्र, प्रजनक बीज होने पर इसकी मानीटरिंग रिपोर्ट की प्रति इत्यादि संबंधित बीज उत्पादक को प्रस्तुत करना होगा।

6.10.3 बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था द्वारा प्रमाणीकरण शुल्क की राशि निर्धारित दरों पर देय होगी जिन्हें परिशिष्ट–IV में निर्धारित अंतिम तिथियों के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। एक एकड़ से कम क्षेत्र को निरीक्षण शुल्क के लिये पूर्ण एकड़ माना जाकर शुल्क लिया जावेगा। वर्तमान निर्धारित शुल्क (परिशिष्ट–III) पर संलग्न है।

6.10.4 फसल पंजीयन हेतु प्रत्येक ऋतु में बीज उत्पादक संस्थाओं को उनके द्वारा आयोजित बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रस्तुत समस्त आवेदनो एवं उनके साथ संलग्न सभी अभिलेखों के

सही एवं प्रमाणिक होने का नोटराइज्ड़ शपथ पत्र (Affidavit) रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उस संस्था का मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि/प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट–XII अनुसार)।

बीज उत्पादक संस्था द्वारा यदि अवैधानिक अभिलेख प्रस्तुत कर फसल पंजीयन/प्रमाणीकरण कार्य कराया जाना पाया जाता है, तो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा जांच उपरांत संबंधित उत्पादक संस्था/कृषक के विरूद्व नियमानुसार पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई जावेगी। इसके अतिरिक्त उत्पादक संस्था का संस्थागत पंजीयन निरस्त किया जाकर समस्त प्रमाणीकरण कार्यवाही प्रतिबंधित की जावेगी एवं बीज उत्पादक संस्था द्वारा प्रमाणीकरण कार्य हेतु जमा शुल्क राशि संस्था द्वारा वापस नहीं की जावेगी।

6.11 बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु यथा संभव एक उत्पादक को एक ही लाट का बीज दिया जाए।

6.12 प्रत्येक बिंदु की सही–सही जानकारी आवेदन–पत्र में अंकित हो व उत्पादक संस्था उसे सत्यापित कर, क्षेत्र में पदस्थ बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि को सौंपेगे।

6.13 संकर फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आवश्यक पैतृकों की जानकारी का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

6.14 आवेदन–पत्र (परिशिष्ट–II) के अनुसार निर्धारित तिथियों तक या आवश्यकतानुसार ऋतु विशेष में की गई वृद्धि अनुसार स्वीकार होंगे।

6.15 अपूर्ण व असत्य जानकारी देने पर आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

6.16 यदि कोई आवेदक अपरिहार्य कारणों, अतिवर्षा या सूखे के कारण बीज नहीं बो पाता है या फसल नष्ट हो जाती है तो पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि के 15 दिन के अंदर, आवेदन में अंकित संपूर्ण या आंशिक क्षेत्र प्रमाणीकरण कार्यक्रम से वापस करा सकता है, ऐसी स्थिति में केवल उतने ही फसल क्षेत्र के निरीक्षण शुल्क की राशि वापस/समायोजित हो सकेगी जिसका बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया हो।

6.17 संस्थागत/कृषक पंजीयन, उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन हेतु अनिवार्य होगा।

6.18 बीज उत्पादक संस्था/बीज उत्पादक के मैदानी कार्यकर्ता बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी को खेत चिन्हित करने में सहायता करेंगे तथा संस्था के अधिकारी उनके भ्रमण के दौरान प्रमाणीकरण संबंधी उत्पादकों को तकनीकी जानकारी देंगे, जैसे भिन्न पौधे, संदूषक, खरपतवार आदि निरीक्षण के पूर्व निकालने हेतु जानकारी देंगे।

6.19 बीज उत्पादक कृषक के खेत का फसल की निरीक्षण अवस्था अनुसार नहीं होने पर जानकारी उत्पादक/उत्पादक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिन उत्पादकों का निरीक्षण नहीं हो पाता है ऐसे उत्पादको की जानकारी प्रथम निरीक्षण से पूर्व बीज प्रमाणीकरण संस्था संबंधित उत्पादक संस्था को उपलब्ध करायेगी। मौसम की प्रतिकूल दशा में अथवा ऐसी दशा में जब अपरिहार्य कारणों से निरीक्षण नहीं हो पाया हो तो ऐसे कृषकों का निरीक्षण शुल्क बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वापस किया जावेगा। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा इसके अलावा कोई अन्य प्रभार नहीं दिया जावेगा।

6.20 परिशिष्ट IV के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

7– <u>प्रमाणीकरण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम में क्षेत्रफल एवं क्षेत्र का निर्धारण :–</u>

7.1 बीज प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र की कोई अधिकतम क्षेत्रफल सीमा निर्धारित नहीं है।

7.2 प्रस्तावित बीजोत्पादन कार्यक्रम सघन बनाने के लिये कार्यक्रम पंजीयन हेतु निम्नानुसार शर्ते रहेंगी। विशेष स्थितियों में इसमें प्रबंध संचालक की अनुमति से परिवर्तन किया जा सकेगा :–

7.2.1 बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत प्रक्रिया केन्द्रों से 30 किलोमीटर के अंदर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जावे।

7.2.2 शासकीय प्रक्षेत्र एवं बीज निगम प्रक्षेत्र जहां प्रक्रिया केन्द्र नहीं है, के 15 किलोमीटर के अन्दर कार्यक्रम लिया जावे।

7.2.3 उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में कृषक बीज उत्पादक कार्यक्रम लेने हेतु उत्सुक हो तो 7 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 30 हैक्टेयर क्षेत्र होना आवश्यक है।

7.2.4 संकर कपास के लिये प्रत्येक ग्राम में कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्र होना आवश्यक है।

7.2.5 सब्जी बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु 5 किलोमीटर की परिधि में 1 हैक्टेयर क्षेत्र होना चाहिये। उपरोक्त सीमा का बंधन लघु फसलों (Minor Crops) पर लागू नहीं होगा ।उत्पादक संस्थाओं द्वारा ग्रामों/कृषकों का चयन इस प्रकार किया जावेगा जहां निरीक्षण हेतु सुगमता से पहुंचा जा सके। बीज ग्राम योजना की सूची उत्पादक संस्थाओ द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

7.3 जिस बीज उत्पादक संस्था के माध्यम से उत्पादन कार्यक्रम पंजीकृत किया जावेगा उसका बीज उत्पादन सामान्यतः उसी संस्था के बोरे/थैले तथा ट्रेडमार्क में पैक किया जावेगा। निर्धारित शुल्क सहित किसी बीज उत्पादक संस्था/कृषक द्वारा अन्य बीज उत्पादक संस्था को विपणनकर्ता निर्धारित करने की अनुमति संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दी जावेगी। विपणनकर्ता संस्था के बेग/लेबल में मूल बीज उत्पादक संस्था का नाम बेग/लेबल(दोनों) में स्पष्ट अंकित किया जावे।

8– <u>क्षेत्र निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की ईकाई :–</u>

एक कृषक/बीज उत्पादक द्वारा बोये गये कुल क्षेत्र के निरीक्षण के लिये निम्नानुसार प्रमाणीकरण क्षेत्र को एक ईकाई माना जायेगा अगर :

8.1 उसका क्षेत्रफल 10 हैक्टेयर से अधिक न हो। 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने पर सुविधानुसार 2 या अधिक भाग किये जा सकते है पर इसका निरीक्षण शुल्क पर कोई असर नहीं होगा।

8.2 पूरे क्षेत्र में बोई गई फसल एक ही किस्म की हो।

8.3 पूरे क्षेत्र की फसल की अवस्था (आयु) तथा बाढ़ समान हो।

8.4 पूरे क्षेत्र में एक ही श्रेणी तथा एक ही वंशानुगत पीढ़ी का बीज बोया गया हो।

8.5 पूरे क्षेत्र में विभिन्न खेत एक दूसरे से 50 मीटर से अधिक दूर न हो।

8.6 बीज उत्पादक संस्था जहां तक हो सके अच्छी फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त कृषि कार्यमाला की उचित जानकारी समय पर प्रदाय <u>करे/अपनायें</u> जिससे बीज की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके।

8.7 भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के परिशिष्ट–II में निर्धारित शर्तो के अनुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्वर्तीय फसले ली जा सकेगी।

9– <u>बीज के स्त्रोत का सत्यापन :–</u>

आवेदन पत्र के साथ

बीज स्त्रोत सत्यापन प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व की मूलभूत तथा अनिवार्य प्रक्रिया है, अतः यह जानने के लिये कि प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत बीज उत्पादन कार्यक्रम, मान्य

स्त्रोत से ही प्राप्त बीज बोया गया है, संस्था को बीज उत्पादन पंजीयन आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे –

9.1 बीज प्राप्ती का सम्पूर्ण विवरण। प्रदाय संस्था का चालान/बिल आदि।
संकर फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आवश्यक पैतृकों बीजों का लाट मूवमेंट।

9.2 अन्य राज्यो से प्राप्त बीज का पैकिग प्रमाण पत्र/रिलीज आर्डर।

9.3 श्रेणी निर्धारण हेतु संतती प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज में यदि श्रेणी को स्पष्ट न किया गया हो, तो अंतिम प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र से पुष्टि की जावे। अथवा आवश्यकतानुसार संबंधित संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर दिये गये प्रमाण को भी मान्य किया जा सकेगा।

9.4 प्रजनक बीज का प्रमाणपत्र, बिल, बीज आवंटन एवं अन्य सहयोगी प्रमाण।

9.5 बीज लाट्स का प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भौतिक सत्यापन प्रपत्र।

9.6 प्रत्येक उत्पादक को जारी किया गया चालान/बिल जिस पर प्रदाय बीज का लाट क्रमांक स्पष्ट अंकित हों तथा कृषक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हों।

9.7 आधार एवं प्रमाणित बीज की श्रेणी निर्धारण हेतु प्रत्येक लाट का एक टैग प्रत्येक पंजीयन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में समस्त टेगो/लेबल के नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

कृषक प्रक्षेत्रों पर निम्नानुसार अभिलेख उपलब्ध होना चाहिये :

9.8 आवेदन फार्म में दर्शाये गये लाट्स के समस्त बैग्स/टैग्स और लेबल।

9.9 उत्पादक संस्था द्वारा जारी किया गया चालान/बिल जिस पर लाट क्रमांक व अन्य विवरण स्पष्ट अंकित हो।

बीज स्रोत सत्यापन का मूल उद्देश्य कृषक द्वारा उपयोग किये गये बीज का स्रोत निर्धारण है। उपरोक्तानुसार में से उपलब्ध प्रमाण से संतुष्ट होने पर उसका विवरण प्रतिवेदन में अंकित कर बीज स्त्रोत का सत्यापन किया जायेगा।

10– <u>बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत फसल की देखभाल</u>

बीज प्रमाणीकरण के लिए फसल उगाते समय प्रत्येक किसान के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संस्था द्वारा बताई गयी कृषि कार्य संबंधी विभिन्न कार्यविधि जिसमें पृथक्करण दूरी, अवांछित पौधों का निकालना,संकर मक्का उत्पादन में मादा पंक्ति से पराग देने वाली नर मंजरी निकालना तथा संकर ज्वार एवं बाजरा की मादा पंक्ति से पराग देने वाले शीर्ष निकालना आदि सम्मिलित है,समय अनुसार अपनायें, जिससे उत्पादित बीज भारतीय न्यूनतम बीज मानकों के अनुरूप बन सके। इसके अलावा बीज प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित फसल में निम्नलिखित शर्ते पूरी होना आवश्यक है।

10.1 खेत में केवल एक ही फसल बोई गई हो,मिश्रित खेती एवं पेढी फसल मान्य नहीं होगी।

10.2 संकर किस्मों के बीज उत्पादन में नर एवं मादा की अलग–अलग पंक्तियां लगाई जाए तथा उनकी बोआई की संख्या नीचे दी गयी सारिणी के अनुसार रखी जावें:–

फसल	न्यूनतम सीमांतता नर पंक्ति की संख्या	बोआई का अनुपात	
		मादा	नर
बजरा	8	4	2
मक्का एवं संकर जाति	4	4	2

अन्य संकर जाति	2	6	2
ज्वार	4	4	2

10.3 यदि कोई स्वपरागित या परागित बीज फसल एक तिहाई या उससे अधिक गिर जाती है जिसमें निरीक्षण के लिए विस्तृत गणना करना कठिन हो या असंभव हो तो फसल प्रमाणीकरण के योग्य नहीं मानी जाएगी। यदि उप/सहा. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी यह समझें कि पकने की स्थिति तक गिरी हुई फसल खड़ी हो सकती है तो खेत को तुरंत निरस्त नहीं किया जावेगा तथा अगले निरीक्षण में इसकी पुष्टि की जावेगी परंतु गेहूँ की वे किस्में जो लूजस्मट बीमारी से ग्रसित हो सकती हो, यदि फूल आने की अवस्था पर एक तिहाई से अधिक गिर गई हो तो फसल का प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत पर–परागित बीज फसलों में और दो जनक वाली संकर जातियों के उत्पादन में यदि फूल आने की अवस्था में फसल या उससे पहले 1/3से अधिक फसल गिर जाए और गणना करना संभव न हो तो प्रमाणीकरण निरस्त किया जावेगा।

10.4 बीज फसल उगाने हेतु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित बीज उत्पादन की शस्य विधियों पर आधारित कृषि कार्यमाला आवश्यक है, जिससे बीज की गुणवत्ता का स्तर सुधारा जा सके। बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत ली गई फसल की कटाई, गहाई तथा बीज भण्डारण के दौरान संस्था के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है, किसी लॉट में मिश्रण होने अथवा सुरक्षित ढंग से न रखा होने की स्थिति में उसका प्रमाणीकरण संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त किया जावेगा।

10.5 बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार बीज गुणवत्ता, का स्तर बनाये रखने के लिए बीज उत्पादक द्वारा, भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के अनुसार निर्धारित तकनीक अपनाना आवश्यक होगा।

10.6 मिश्रित खेती मान्य नहीं होगी। अंतवर्ती फसल उत्पादन कार्यक्रम हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के परिशिष्ट–। की शर्तो के अनुसार ही मान्य किया जा सकेगा।

11– <u>फसल का निरीक्षण</u>

फसल निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बोई गई फसल किस्म का निम्न बिन्दुओं के आधार पर वांछित सत्यापित करना है। किसी बीज प्लाट के मानक स्तरीय न होने पर उसे निरस्त किया जा सकेगा।

11.1 उपयोग किये गये बीज का बीज स्त्रोत सत्यापित हो जिससे अनुवांशिक एवं भौतिक शुद्वता जो निर्धारित है, उच्च गुणवत्ता का तैयार हो।

11.2 यह सत्यापित करना कि जिस भूमि में उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है उस भूमि में पूर्व में ली गई फसल क्या थी, जिससे संदूषण तथा बीमारी से प्रभावित होने की संभावना न हो।

11.3 सत्यापित करना कि बीज प्लाट की पृथक्करण दूरी संतोषप्रद है या नहीं।

11.4 संकर किस्मों में निर्धारित बार्डर लाईन लगाई गई है या नहीं।

11.5 संकर किस्मों में नर एवं मादा लाईन निर्धारित अनुपात में लगाई गई है या नहीं।

11.6 कृषक प्रक्षेत्र पर बीज प्लाट की गणना हेतु बीज प्लाट में जाकर पूर्ण क्षेत्र की गणना नियमानुसार करें तथा निर्धारित अनुपात में लगाई गई है या नहीं।

11.7 न्यूनतम खेत निरीक्षण फसल अनुसार निम्नानुसार होगाः–

	फसल	निरीक्षण संख्या	निरीक्षण की अवस्था
1	धान,गेहूं,रागी,मूंग,उडद,अरहर,लोबिया, फ्रेंचबीन,सोयाबीन,मूंगफली	2	पहला पुष्पन के समय, दूसरा पकते समय
2	(ए) मक्कासिंगल क्रास एवं संकर मक्का। (बी) कम्पोजिट एवं अन्य	4 2	पहला पुष्पन के पहले, तीन पुष्पन के बाद। पहला पुष्पन के पहले दुसरा पुष्पन के बाद
3	संकर ज्वार, बाजरा, सूर्यमुखी	4	पहला पुष्पन के पहले, दूसरा एवं तीसरा पुष्पन के समय चौथा कटाई के पहले
4	ज्वार, बाजरा, सूर्यमुखी, कुसुम, तिल, जूट	3	पहला पुष्पन के पहले, दूसरा पुष्पन के समय तीसरा कटाई के पूर्व
5	(ए) संकर कपास (बी) कपास,किस्म,अरण्डी किस्म	4 2	पहला पुष्पन के पहले, दूसरा,तीसरा पुष्पन के समय,चौथा(पिकिंग के समय) पुष्पन से कटाई के समय
6	अरण्ड़ी–संकर	4	पहला पुष्पन के पहले दूसरा,तीसरा पुष्पन के समय चौथा कटाई के पूर्व
7	बैगन,भिण्डी, टमाटर, मिर्च, कुकर बिट्स, तथा फलवाली सब्जियां	3	पहला पुष्पन के पूर्व दूसरा पुष्पन के समय तीसरा फल पकने के समय
8	आलू	4	पहला बोनी के 45 दिन बाद दूसरा बोनी के 60–65 दिन बाद शीध्र पकने वाली फसल एवं 70–75 दिन देर से पकने वाली फसल हेतु। तीसरा हाल्म कटिंग के बाद चौथा हाल्म कटिंग के 10 दिन बाद
9	गाजर, मूली	3	पहला 20–30 दिन बाद रोपन के पहले। दूसरा रोपाई के बाद तीसरा पुष्पन के समय

11.8 खेत निरीक्षण के समय गणना लेना एवं प्रतिवेदन तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अतः भारतीय न्यूनतम मानक , निर्धारित गणना संख्या और स्टेंडर्ड त्रुटि को घ्यान रखकर कृषक को फसल की स्थिति अनुसार निर्देशित किया जाना अपेक्षित है।

11.8.1 वनस्पतिक अवस्था : बीज स्रोत सत्यापन, पृथक्करण दूरी, संदूषण पौधे की पहचान एवं पुष्पन अवस्था में ली जाने वाली सावधानियॉ आदि।

11.8.2 पुष्पन अवस्था : संदूषण के कारको का विवरण , दूर करने के उपाय व अन्य ऐसी सावधानियॉ जिससे गुणवत्ता में उतरोत्तर सुधार हो।

11.8.3 फसल पकते समयः कटाई, गहाई एवं बीज ढुलाई में आवश्यक सावधानियॉ।

11.8.4 पुनः गणना : स्टेंडर्ड त्रुटि को ध्यान में रखकर बीज फसल को मानकों के अनुरूप मान्य या अमान्य करने हेतु पुनः गणना करना अनिवार्य है।

11.8.5 बीज फसल के निरीक्षण के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर, निरीक्षण के समय उपस्थित कृषक या उसके प्रतिनिधि से हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रति तत्काल उन्हें दी जायेगी। यदि कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर से इनकार करता है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया जाये। ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन एवं निरस्त प्रतिवेदन 48 घंटे के अंदर पंजीकृत डाक से संबंधित कृषक, संभागीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय भेजे जावेगे। सामान्य प्रतिवेदन संबंधित संभागीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय को निरीक्षण दिनांक से 03 दिवस (72 घंटे) के अन्दर भेजना होगा।

11.9 मानक अनुरूप बीज फसल की कटाई, गहाई एवं ढुलाई निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत तथा निर्धारित प्रक्रिया केन्द्र पर कट आफ डेट के पूर्व करना चाहिये। उक्त कार्य में उत्पादक सभी आवश्यक सावधानियां बरतेंगे जिससे बीज की गुणवत्ता सुरक्षित रहे।

12— <u>पुनः निरीक्षण</u>

प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र यदि किसी निरीक्षण के समय प्रमाणीकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर बीज उत्पादक निर्धारित शुल्क के साथ निरीक्षण के एक सप्ताह के अंदर आवेदन देकर पुनः निरीक्षण करा सकता है। ऐसे निरीक्षण एक या एक से अधिक किए जा सकते है। पुनः निरीक्षण की अनुमति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी। पुनः निरीक्षण की अनुमति केवल उन्ही स्थितियों में दी जावेगी जिनके सुधारने पर बीज की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

13— <u>कटाई,गहाई एवं ढुलाई</u>

उच्च—कोटि के बीज तैयार करने के उद्देश्य से किया गया संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ जाएगा यदि बीज में कटाई,गहाई या ढुलाई के समय किसी तरह का मिश्रण हो जाए। बीज प्रमाणीकरण संस्था के लिए न तो यह संभव है और न व्यवहारिक दृष्टि से उचित है कि उसका प्रतिनिधि प्रत्येक कार्य की देखभाल करें। यह कार्य मुख्य रूप से बीज उत्पादक कृषक एवं बीज उत्पादक संस्था की जिम्मेदारी तथा ईमानदारी पर निर्भर है। अतएवं संबंधित बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करें कि मानक स्तरीय पाये गये बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का उत्पादन ही बिना किसी मिश्रण के, संबंधित बीज प्रक्रिया केन्द्र तक पहुॅचाया जावे।

13.1 जहां संकरण प्रक्रिया से नर एवं मादा जनक पौधों की पंक्तियां लगाई गई हों, उनमें निरीक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नर जाति की पंक्तियां पहले काटकर अलग कर ली गई हों तथा उनका बीज अलग रख दिया गया गया हो। ताकि मुख्य बीज फसल में मिलने की संभावना न रहे। इस कार्य का पर्यवेक्षण संस्था के अधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

13.2 इसी तरह यह भी निश्चित कर लिया जाए कि उन खेतों का ,जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निरस्त कर दिये गये है का उत्पादन प्रमाणीकरण के योग्य उत्पादन के साथ न मिल जाए।

13.3 यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रक्रिया केन्द्रों पर उन्हीं प्रक्षेत्रों का बीज लाया जावें जिन्हें प्रमाणीकरण के योग्य माना गया है। प्रक्रिया केन्द्र पर भेजे जाने वाले बीज के साथ बीज मात्रा की पुष्टि हेतु अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित बीज उत्पादक द्वारा अनिवार्य रूप से लाया जावे।

13.4 बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी बीज प्रक्रिया के कार्यो का सतत्

निरीक्षण कर सकेंगें।

13.5 उत्पादक संस्था/बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी द्वारा बीज उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से उपार्जन की अंतिम तिथि (परिशिष्ट–IV अनुसार) तक पाक्षिक निम्न प्रपत्र में जानकारी संस्था के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायी जावेगी–

पंजी. क्रं.	कृषक का नाम	पता	फसल	किस्म	श्रेणी	प्राप्त उत्पादन	प्राप्ति दिनांक	प्रक्रिया प्रभारी के हस्ता0

13.5.1 असंसाधित बीज का अग्रिम संसाधन कार्यक्रम संस्था के संबधित सहा. बीज प्रमा. अधिकारी द्वारा संबंधित बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी से समन्वय कर बनाया जावेगा। इस प्रकार संयुक्त हस्ताक्षरित कार्यक्रम का परीक्षण संभागीय कार्यालय द्वारा किया जाकर अनुमोदन जारी किया जावेगा। तदनुसार बीज प्रक्रिया कार्य संबंधित उत्पादक संस्था द्वारा किया जावेगा।

13.6 पर्यवेक्षकीय निरीक्षणः–

संभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो के साथ–साथ बीज प्रमाणीकरण अधिकारी विशेष फसल निरीक्षण का कार्य करेंगें। विशेष निरीक्षण कार्य संभाग के सभी जिलों एवं सभी अधीनस्थ निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के क्षेत्र का किया जायेगा, किन्तु न्यूनतम क्षेत्र निम्नानुसार होगा–

क्र.	पंजीकृत क्षेत्रफल	विशेष निरीक्षण का क्षेत्र
1	1000 हे. से 2000 हे. तक	न्यूनतम 300 हे.
2	2000 हे. से 4000 हे. तक	न्यूनतम 350 हे.
3	4000 हे. से अधिक	न्यूनतम 400 हे.

13.7 संभाग में पदस्थ उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी अपने कार्य के साथ–साथ विशेष फसल निरीक्षण का कार्य भी बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की अनुमति से करेंगें। इसके अतिरिक्त आवंटित जिले के अन्तर्गत प्रत्येक बीज प्रक्रिया केन्द्र पर 5–7 बीज लॉटस की सेम्पलिंग अपने समक्ष करावेगें।

13.8 कटाई एवं गहाई के बाद उत्पादक बीज को अच्छी तरह सुखा कर साफ सुथरें थैलों में सुरक्षित स्थान पर रखे। मक्का के बीज उत्पादन में गहाई से पूर्व अवांछित भुटटों को छॉटना तथा अलग करना आवश्यक है। संबंधित निरीक्षण अधिकारी इस विषय पर विशेष निर्देश बीज उत्पादकों को देंगें तथा गहाई से पूर्व भुट्टों की छंटनी का निरीक्षण करेंगें एवं निर्धारित स्तर के अनुरूप होने पर गहाई की स्वीकृति देंगे। जिन बीज प्रक्रिया केन्द्रों पर भुट्टों को सुखाने तथा दाने निकालने की सुविधा है वहां यह कार्य संबंधित निरीक्षण अधिकारी की देखरेख में बीज प्रक्रिया केन्द्र पर किया जाएगा।

13.9 अ–एक संभाग से दूसरे संभाग में असंसाधित बीज स्थानांतरण के आवेदन, उत्पादक संस्था द्वारा पंजीकृत कृषक, पंजीकृत प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उपज एवं स्थानांतरण हेतु उपार्जित मात्रा के साथ तिथिवार कार्यक्रम आवश्यक शुल्क सहित संभागीय कार्यालय के माध्यम से प्रधान कार्यालय भेजे जावेगे। इन आवेदनो पर प्रबंध संचालक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादक कृषक के भण्डारण स्थल/खलिहान पर बीज लाट्स को मोहरबंद (सील से) कर स्थानांतरण की अनुमति दी जावेगी।

इस प्रकार कृषक के भण्डारण स्थल/खलिहान में संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा सील से प्रत्येक लॉट को सभी बोरों को मोहरबंद किया जावेगा। बोरों पर लॉट की पहचान जैसे फसल, किस्म, श्रेणी, लॉट नम्बर लिखा जावेगा। साथ ही प्रत्येक बीज लॉट के लिए पूर्ण विवरण सहित जैसेः कृषक का नाम, ग्राम, जिला, पंजीकृत व प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उत्पादन एवं मानक अनुरूप बीज प्लाट से प्राप्त वास्तविक उत्पादन की मोहरबंद मात्रा का उल्लेख कर उत्पादक कृषक से हस्ताक्षर कराने के बाद उक्त पत्रक पर सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे।

इस तरह मोहरबंद किये गये बीज के स्थानान्तरित होकर दूसरे संभाग के संबधित बीज प्रक्रिया केन्द्र पर पहुॅचने पर प्रत्येक स्थानान्तरित बीज लॉट के प्रत्येक बोरे की सील की एवं उस लाट हेतु जारी मोहरबंद प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की जॉच की जाकर संतुष्ट होने पर ही बीज प्रक्रिया कार्यक्रम बनाने की अनुमति दी जावेगी। यदि किसी बीज लॉट में सील नहीं लगी पायी जावेगी तो एसे बीज लॉट को तुरन्त निरस्त कर इसकी सूचना दोनों संभागों की बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को दी जावेगी।

ब–संभाग के अन्तर्गत एक जिले से दूसरे जिले में असंसाधित बीज स्थानांतरण के आवेदन, उत्पादक संस्था द्वारा पंजीकृत कृषक का पंजीकृत एवं प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उपज एवं स्थानांतरण हेतु उपार्जित मात्रा की जानकारी के साथ तिथिवार कार्यक्रम संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के माध्यम से संभागीय कार्यालय को भेजे जायेंगे। प्राप्त आवेदनों पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादक कृषक के भण्डारण स्थल/खलिहान पर असंसाधित बीज लाट्स को मोहरबंद (लेड सील से) कर स्थानांतरण करने की अनुमति दी जावेगी।

इस प्रकार कृषक के भण्डारण स्थल/खलिहान में संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा लेड सील से प्रत्येक लॉट को सभी बोरों को मोहरबंद किया जावेगा। बोरों पर लॉट की पहचान जैसे फसल, किस्म, श्रेणी, लॉट नम्बर लिखा जावेगा। साथ ही प्रत्येक बीज लॉट के लिए पूर्ण विवरण सहित जैसेः कृषक का नाम, ग्राम, जिला, पंजीकृत व प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उत्पादन एवं मानक अनुरूप बीज प्लाट प्राप्त से वास्तविक उत्पादन की मोहरबंद मात्रा का उल्लेख कर उत्पादक कृषक एवं बीज उत्पादक संस्था प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने के बाद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे।

इस तरह मोहरबंद किये गये बीज के स्थानान्तरित होकर संबधित बीज प्रक्रिया केन्द्र पर पहुॅचने पर प्रत्येक स्थानान्तरित बीज लॉट के प्रत्येक बोरे की लेड सील की एवं उस लाट हेतु जारी मोहरबंद प्रमाण पत्र की जॉच की जाकर संतुष्ट होने पर ही बीज प्रक्रिया कार्य हेतु नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी बीज लॉट में लेड सील नहीं लगी पायी जावेगी तो ऐसे बीज लॉट को तुरन्त निरस्त कर इसकी सूचना स्थानांतरित किये गये प्रक्रिया केन्द्र पर पदस्थ सहा. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा समस्त संबंधितो को दी जावेगी।

13.10– यह भी सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि उन्हीं फसलो का उत्पादन जो प्रक्षेत्र निरीक्षण के स्तर पर प्रमाणीकरण योग्य मानी गई है, बीज प्रक्रिया हेतु भेजा जावे। इस हेतु व्यवस्था अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा भविष्य में निर्धारित नीति निर्देश अनुसार उक्त की पुष्टि हेतु क्षेत्रीय अधिकृत शासकीय अधिकारीओं/कर्मचारियों /अन्य नामांकितो (जैसे व.कृ.वि. अधि., ग्रा.कृ.वि.अधि., पटवारी, राजस्व निरीक्षक आदि) द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र (लेबल) के साथ ही उत्पादित बीज मात्रा मोहरबंद की जा सकेगी। प्रक्रिया केन्द्र पर संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित जानकारी अभिलेखित की जावेगी।

14– <u>बीज प्रक्रिया</u>

14.1 बीज प्रक्रियान्तर्गत, खेत स्तर पर मानकों के अनुरूप उत्पादित बीज को बीज प्रक्रिया कार्य के लिये बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्रों/जिनिंग केन्द्रों पर लाना होगा। बीज प्रक्रिया कार्य में बीजों की ग्रेडिंग एवं बीज उपचार इत्यादि सम्मिलित है। संस्था द्वारा पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्रों/जिनिंग केन्द्रों पर ही प्रक्रिया कार्य मान्य होगा। फसल विशेष हेतु बीजों की ग्रेडिंग हेतु जालियों के निर्धारित माप परिशिष्ट–V पर दर्शाये गये हैं।

बीज प्रक्रिया केन्द्रों का पंजीयन एक वर्ष एवं तीन वर्ष हेतु निम्न शर्तो के तहत् होगाः–

<u>अ–एक एवं तीन वर्ष के लिये बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण–</u>

1–प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट–VI अनुसार निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा।

2–जिन बीज उत्पादक संस्थाओ के स्वयं के स्वामित्व वाले भण्डार गृह में स्थापित बीज प्रक्रिया केन्द्र नहीं होंगे, ऐसे बीज प्रक्रिया केन्द्रों का प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण एक वर्ष हेतु किया जावेगा।

3–उक्त पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक वैघ होगा। वैद्यता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित संभागीय कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

14.1.1 **बीज प्रक्रिया केन्द्रो के पंजीयन हेतु आवश्यकतायें–**

1. उत्पादक संस्था का वैद्य पंजीयन क्रमांक। यदि संस्था का पंजीयन आवेदित हो तो सन्दर्भ लिखे।
2. बीज प्रक्रिया केन्द्र हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता के उपयुक्त भवन/भण्डार गृह (आवश्यक शेड सहित)।
3. बीज प्रक्रिया संयंत्र (Seed Grader)।
4. निर्धारित माप की आवश्यक चालनियां (Screens)।
5. तुलाई मशीन, सिलाई मशीन, आर्द्रता मापी।
6. एक्जास्ट फेन, अग्निशामक यंत्र।
7. आवश्यकतानुसार वुडन/मैटल/प्लास्टिक(फाइबर) पैलेट्स।
8. पर्याप्त धूम्रीकरण कवर, तारपोलिन।
9. प्राथमिक उपचार व्यवस्था (First Aid Box)
10. संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के बैठने/रिकार्ड रखने की समुचित व्यवस्था।
11. आवेदन अधिकृत प्रक्रिया प्रभारी अथवा उत्पादक संस्था के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

नोट– बीज प्रक्रिया केन्द्र पर यदि अन्य आधुनिक/उन्नत व्यवस्थायें हों तो उनका भी विवरण दिया जाये जैसे– प्रिक्लीनर, इन्डेन्टेड सिलेण्डर, ग्रेविटी सेप्रेटर एवं ड्रायर आदि।

14.2 बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु उक्त बिन्दु 14.1.1 (1) के अन्तर्गत उपयुक्त भण्डार गृह में निम्नानुसार आवश्यकतायें होना चाहियेः–

1. प्रक्रिया केन्द्र उपयुक्त भवन में जिसमें उचित प्रकाश, हवा आदि की व्यवस्था हो।
2. भवन उपयुक्त (दरार रहित) तथा नमी रोधक हो।
3. संयंत्र के आस पास कार्य हेतु जगह होना चाहिये तथा असंसाधित एवं संसाधित बीज रखने हेतु पर्याप्त भंडारण व्यवस्था हो।
4. केन्द्र पर बीज सुखाने आदि कार्यो हेतु पर्याप्त स्थान हो।
5. संयंत्र के संसाधन क्षमता का सही उपयोग करेगें एवं बीज की शुद्वता को बनाये रखेंगे।
6. संयंत्र निरीक्षण हेतु पहुंच मार्ग सुगम हो।
7. संयंत्र मानक उपकरणों से युक्त हो।
8. सभी प्रमाणीकरण संबंधी क्रियाएं संस्था के प्रतिनिधि के अनुमोदन उपरान्त होनी चाहिये।

14.3 बीज प्रक्रिया हेतु प्रणाली :–

बीज प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें बीज की गुणवत्ता को बीज प्रक्रिया द्वारा, अवशिष्ट पदार्थ जैसे–कंकड,मिट्टी, छोटे बीज, खरपतवार बीज, कटे–फटे बीजों को अलग कर, बनाया जाता है। प्रभारी अधिकारी बीज उत्पादक से आवश्यक दस्तावेज जैसे अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट आदि को जांचने के उपरांत असंसाधित बीज मोहर बन्द प्रमाण पत्र में दी गई वास्तविक उत्पादन के आधार पर प्राप्त करेगा एवं निम्नानुसार बीज लाट की जांच करेगा।

(अ) बीज लाट में भौतिक मिलावट, अवशिष्ट पदार्थ, लस्चर आदि।
(ब) कीटोपघात, बीमारी, संदूषण आदि।
(स) नमी प्रतिशत।
(द) बीज लाट की मात्रा।
(इ) कट ऑफ डेट के पूर्व प्राप्ति।
(फ) स्पष्ट दिखाई देने वाला मिश्रण।

14.4 प्रत्येक लाट की प्रक्रिया के बाद बीज साफ–सुथरे बोरों में भरा जायेगा, जिसमें फसल, किस्म व श्रेणी लॉट क्रमांक अंकित हो।

14.5 प्रक्रियाकृत बीज के प्रत्येक बोरे का वजन एक समान हो तथा सिलाई के बाद बोरों को लेड सील लगाकर मोहरबंद किया जायेगा।

14.6 एक स्टेक में एक ही किस्म, श्रेणी का बीज रखा जा सकेगा एवं स्टेक पर पहचान के विवरण का स्टेक कार्ड लगाया जावेगा।

14.7 बीज लाट के स्टेक के चारो तरफ पर्याप्त जगह हो ताकि सुगमता से लाट्स का निरीक्षण किया जा सके।

14.8 जिस गोदाम में प्रक्रियाकृत बीज या प्रमाणित बीज रखा हो उसमे अन्य सत्यरूपित बीज या अनाज न रखा जावे। अण्डर साईज बीज का भण्डारण भी ऐसे गोदाम में नही किया जावे।

14.9 संकर कपास में रेशेयुक्त या डिलेन्टेड लाट का ही नमूना लिया जावेगा।

14.10 प्रक्रिया केन्द्रो पर उत्पादक संस्था द्वारा निम्नानुसार अभिलेखो का संधारण अनिवार्य रूप से करना होगा।

1. बीज प्राप्ती रसीद।
2. दैनिक बीज उपार्जन पंजी।
3. प्रक्रिया केन्द्र पर स्थापित मशीनों की लॉग बुक।
4. पंजीकृत बीज उत्पादकवार सभी प्रमाणीकरण कार्य की प्रविष्टियों की पंजी।

14.11 प्रक्रिया केन्द्रों पर निम्नानुसार अभिलेखो का संधारण संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

1. बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजी।
2. फसल पंजी।
3. टेग लेखा पंजी।

संस्था के पर्यवेक्षकीय अधिकारी उक्त संधारित अभिलेखों का समय–समय पर अनिवार्यतः निरीक्षण करेंगे।

15– <u>बीज परीक्षण हेतु नमूने लेना</u> :–

बीज प्रक्रिया के साथ–साथ या बीज प्रक्रिया पूर्ण होने के पॉच कार्य दिवसों में बीज परीक्षण हेतु नमूने बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी द्वारा संबंधित केन्द्र प्रभारी/उत्पादक के समक्ष लिये जावेंगे। लिये गये नमूने की मात्रा, थैली एवं नमूना संस्था के प्रधान कार्यालय तक कोडिंग हेतु पहुॅचाने का कोई मूल्य या व्यय, बीज उत्पादक/बीज

उत्पादन संस्था को देय नहीं होगा। बीज परीक्षण हेतु कोडिंग के लिये मुख्यालय भेजे जाने वाले नमूनों की मूल थैलियों में किसी प्रकार का कोई मार्क, मोनो, छापा, नंबर, निशान, लाईन, बिन्दी आदि नहीं होना चाहिये। इसमें उपयोग किया जाने वाला कपड़ा केवल सामान्य ''मार्किन'' (ग्रे–शीट) का होना चाहिये। थैली में बीज भरकर सफेद धागे से सिलाई के उपरांत नियमानुसार मुहरबंद किया जावेगा।

15.1 परिशिष्ट–VIII में वर्णित मात्रा के तीन एक समान नमूने बनाये जाएंगें तथा उन्हें मुहर बंद किया जावेगा तथा तीन कार्यकारी दिन के अंदर इन नमूनों को नीचे लिखे अनुसार वितरित किया जावेगा।

15.1.1 एक नमूना बीज परीक्षण प्रयोग शाला हेतु भेजे जाने के लिये उसे संस्था के मुख्यालय को भेजा जावेगा।

15.1.2 एक नमूना संबंधित कृषक/बीज उत्पादक संस्था को दिया जावेगा।

15.1.3 एक नमूना संस्था के संबंधित अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगा।

15.1.4 संबंधित सहा. बीज प्रमा. अधिकारी द्वारा बीज परीक्षण हेतु नमूने लेने के बाद उन्हें मोहरबंद करके संबंधित उत्पादक संस्था के बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी को सौंप कर रजिस्टर में इसकी प्राप्ति लेंगे। उक्त नमूने 05 कार्यकारी दिवस के अन्दर संबंधित उत्पादक संस्था द्वारा कोडिंग हेतु जमा कराना अनिवार्य होगा।

15.1.5 मुख्यालय को प्राप्त नमूनों का कोडिंग किया जावेगा तथा कोडेड नमूनें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजे जावेंगे।

15.2 बीज नमूने लेने,सील करने इत्यादि का कार्य एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण में परीक्षण का कार्य निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत किया जावेगा।

15.3 बीज परीक्षण परिणाम प्रधान कार्यालय में प्राप्ति के बाद डिकोडिंग उपरान्त, संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों/उत्पादक संस्थाओं को भेजें जावेंगे।

15.4 सर्विस नमूनों का परीक्षण निर्धारित शुल्क रू.150 प्रति नमूने सहित, प्रबंध संचालक की अनुमति से होगा। यह नमूने पहले मुख्यालय कोडिंग हेतु भेजे जावेंगे।

15.5 बीज उपचार :–प्रमाणीकरण के अंतर्गत कोई किस्म यदि बीज से फैलने वाली बीमारी के रोग जनकों की वाहक है और यदि ऐसा उपचार उपलब्ध है जो सही तरीके से करने से बीमारी या रोगजनक की रोकथाम कर सकता है तो संस्था ऐसे बीज का उपचार प्रमाणीकरण से पहले करवा सकती है या बीज उत्पादक संस्था के अनुरोध पर संस्था बिना बीज उपचार के भी प्रमाणीकरण कर सकती है बशर्ते :–

बीज उत्पादक संस्था लिखित रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि बीज उपचार का अनुशंसित रसायन, उपचार संबंधी आवश्यक जानकारियों के पत्रक एवं सावधानियों के निर्देशों के साथ थैले के अंदर रख दिया है और बीज उत्पादक को बीज बौने के पूर्व बीज उपचार अनिवार्यतः किये जाने के निर्देश दिये गये। फसलवार बीज उपचार हेतु प्रयुक्त रसायनो की सूची परिशिष्ट–VII पर है।

16– पुनः नमूना लेना तथा पुनः परीक्षण कराना।

बीज लाट के बीज परीक्षण परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने पर सामान्य स्थिति में बीज परीक्षण परिणाम,संबंधित केन्द्र पर प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के भीतर, बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था निर्धारित शुल्क सहित पुनः नमूना लेने का आवेदन दे सकेगें। पुनः नमूना लेने तथा बीज परीक्षण कराने की अनुमति संभाग के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में निर्धारित सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान–XXIV के तहत् केवल एक बार दी जावेगी।

पुनः प्रक्रिया के कारक/कारकों को नमूना पत्रक में संबंधित नमूने लेने वाले अधिकारी द्वारा स्पष्टतः अंकित किया जावेगा।

16.1– भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान–XXVII के तहत आधार श्रेणी में अमानक किन्तु प्रमाणित श्रेणी में मानक स्तरीय पाये गये बीज प्लाटस/लाट्स के डाउनग्रेडिंग की अनुमति संबंधित उत्पादक संस्था के अनुरोध पर संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। संकर एवं उनके पैतृकों के लिये डाउनग्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

17– अनुवांशिक शुद्धता :–

प्रत्येक प्रमाणित बीज लाट,की आधार एवं प्रमाणित श्रेणी की अनुवांशिक शुद्धता निर्धारित भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार होगी।

17.1 भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में अनुवांशिक शुद्धता के प्रावधान निर्धारित है। तदनुसार संकर फसलों का ग्रो–आऊट परीक्षण अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा निर्धारित अन्य फसल किस्मों के आधार बीज लाटों का ग्रो–आऊट परीक्षण भी कराना होगा। आवश्यक होने पर प्रमाणीकरण संस्था किसी भी लाट या लाटों का अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण कराएगी तथा बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था को इसके लिए निर्धारित शुल्क अतिरिक्त देना होगा तथा मानकों के अनुरूप परिणाम आने पर ही प्रमाणीकरण किया जाएगा। अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण हेतु संस्था के योग्य अधिकारी/अधिकारियों एवं संबंधित फसल प्रजनक/वैज्ञानिकों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध संचालक एक समिति गठित करेंगे।

17.2 निरीक्षण समिति का गणना प्रतिवेदन, ग्रो–आउट परीक्षण, प्रक्षेत्र प्रबंधक द्वारा अगले कार्यकारी दिवस में ही मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के मुख्यालय भेजा जावेगा। उसकी डिकोडिंग कर यथाशीध्र परिणाम पुनः बीज प्रमाणीकरण संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा। जो संबंधित उत्पादक/संस्था को सूचित करेंगें।

18– बीज लाट :–

एक बीज लाट भौतिक रूप से अलग पहचानने योग्य वह मात्रा है, जो एक रूप है।

19– बीज लाट का आकार :–

19.1 एक बीज लाट की अधिकतम सीमा, विभिन्न फसलों हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक परिशिष्ट–VIII में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगी। उत्पादक के खेत से प्राप्त कुल बीज मात्रा यदि निर्धारित मात्रा से अधिक हो तो उसे दो या अधिक असंसाधित बीज

लाट में विभाजित कर अलग–अलग लाट क्रमांक की सीरीज जैसे 01(i),01(ii),01(iii) आवंटित की जाकर लाट का अलग–अलग संसाधन किया जावेगा।

19.2 ऐसे प्रत्येक लाट के नमूनों के परीक्षण हेतु बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था का लाट संख्या अनुसार परीक्षण शुल्क देना होगा।

20– <u>बीज का प्रमाणीकरण</u> :–

बीज प्रमाणीकरण संस्था की सहमति से प्रक्रियाकृत बीज उन बोरों/थैलों/डिब्बों में सीधा भरा जा सकता है जिनमें वह विक्रय किया जाता है अथवा बीज परीक्षण परिणाम आने तथा बीजोपचार तक अस्थायी तौर पर बड़ें थैलों/बोरों में भी भरा जा सकता है। जिन थैलो/बोरों/डिब्बों में बीज अंततः प्रमाणीकरण कराया जाएगा उसका माप आकार,रंग तथा अन्य गुण एवं निर्धारित लेबल बीज उत्पादक संस्था द्वारा बीज प्रमाणीरकरण संस्था के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर पूर्व अनुमोदन कराया जावेगा। पैकिंग मटेरियल के संबंध में बीज प्रोद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में पालन करना अनिवार्य होगा।

20.1 पुराने बोरों/थैलों/डिब्बों आदि जो एक बार उपयोग हो चुके हो उनमें पुनः प्रमाणित बीज भरकर टैग लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

20.2 बोरों/थैलों/डिब्बों पर प्रमाणीकरण टैग एवं मुहर लगाये जाने की सुविधा होना चाहिए।

20.3 मुहरबंद करते समय संबंधित बीज लाट में निर्धारित आर्द्रता/स्तर होना आवश्यक है।

20.4 भारत सरकार द्वारा लेबल हेतु निर्धारित विवरण अनुरूप जानकारी पैकिंग/टैगिंग हेतु उपयोग किये जा रहे थैलों/बोरियों पर दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

20.5 बीज उत्पादक संस्था के उद्देश्यपूर्ण अनुरोध पर किसी बीज लाट की पैकिंग साईज सामान्य से कम करने की अनुमति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी दे सकेगे। पैकिंग साईज सामान्यतः प्रति एकड़ बीज दर के अनुरूप होगी।

20.6 किसी भी उत्पादक संस्था प्रमाणित बीज की पैकिंग हेतु उपयोग की जाने वाली बोरियों पर कोई भ्रामक वाक्य/शब्द अंकित नहीं किया जावेगा।

20.7 बीज उत्पादक संस्था द्वारा पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्र जिस पर संसाधन कार्य संपादित किया गया है, के परिसर के बाहर स्थित अन्यत्र भण्डार गृह पर मानक स्तरीय बीज का पैकिंग/टैगिंग कराना चाहती है, तो उसे निर्धारित स्पाट टैगिंग शुल्क देना होगा।

21– <u>प्रमाण–पत्र</u> :–

बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम मानक स्तर का होने पर और जहां प्रावधान हो वहां अनुवांशिक शुद्धता परिणाम मानको के अनुरूप होने पर तथा अन्य अर्हतायें पूर्ण होने पर बीज अधिनियम 1966 की धारा–9 (3) के अन्तर्गत प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र (पत्रक–7) संबंधित सहा. बीज प्रमा. अधिकारी द्वारा बनाया जायेगा और संबंधित संभागीय कार्यालय के बीज प्रमा. अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर एक प्रति बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था को, दूसरी एवं तीसरी प्रति संभागीय कार्यालय को तथा चौथी प्रति सहा. बीज प्रमा. अधिकारी के रिकार्ड में रखी जायेगी। इस प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि 09 माह की होगी।

बीज परीक्षण परिणाम मानकों के अनुरूप प्राप्त होने के शीघ्र बाद किन्तु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रमाणीकरण (टैगिंग) कराना अनिवार्य होगा।

22– <u>प्रमाणीकरण टैग लगाना</u> :–

प्रमाणीकरण के योग्य बीज लाट के लिये प्रमाणीकरण संस्था प्रत्येक बोरे के लिये टैग एवं टीन सील निर्धारित मूल्य प्राप्त कर देगी तथा यह सुनिश्चित कर लेगी कि यह टैग, बोरे पर बीज अधिनियम 1966 की धारा–7 के अंतर्गत बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था के लेबिल के साथ लगाये जावेंगे। संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि(सहायक/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी) प्रत्येक टैग पर अपना नाम तथा पद की मोहर के साथ हस्ताक्षर करेंगे। केवल आलू को छोडकर जहां शीत भण्डारण के दौरान टैग गल सकते हैं, कोई भी टैग,बोरे/थैले/डिब्बें के अंदर नहीं रखा जाना चाहिये। आलू के लिए प्रदत्त टैग पॉलिथिन के अंदर रखकर बोरी में लगाया जाना चाहिए।

23– <u>संस्था के देय सभी शुल्कों की भुगतान विधि</u> :–

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणीकरण कार्यो हेतु निर्धारित शुल्क की राशि संबंधित उत्पादक संस्था द्वारा अग्रिम रूप से प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के नाम से देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्रॉफ्ट अथवा चालान के माध्यम से (जैसा निर्धारित किया जाये) संस्था के संभागीय कार्यालय भेजी जावेगी। संभागीय कार्यालय द्वारा आवश्यक परीक्षण कर तदनुसार देयक जारी किये जायेगे। तदनुसार राशि संबंधित मद के पत्रक सहित मुख्यालय भेजी जावेगी। आवश्यकतानुसार संबंधित संभागीय कार्यालय स्तर पर केवल रूपये 100/ तक की राशि नगद प्राप्त की जा सकती है तथा उसी दिन या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस में उक्त राशि संस्था के खाते में जमा कराई जावेगी।

24– <u>वैधता अवधि बढ़ाना</u>:–

24.1 प्रथम बार प्रमाणीकरण किए गए लाट की वैधता अवधि समाप्त होने पर उस बीज लाट का पुनः परीक्षण करवाने के लिए प्रत्येक लाट का क्रमांक/किस्म श्रेणी के अनुसार अलग–अलग व्यवस्थित कर लें, तथा जो बोरे/थैले फट गए हो या जिनके टैग लेबिल,मुहर आदि निकल गए हो उन्हे अलग कर दे क्योंकि ऐसे बोरों/थैले/डिब्बों की वैधता बढ़ाना संभव नही होगा यदि संबंधित लाट का मूल प्रमाणीकरण मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा न किया गया हो तो मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था यह संतुष्ट होने पर कि बीज प्रक्रिया करने से बीज की गुणवत्ता बढ़कर मानको के अनुरूप हो सकती है तो बोरों/थैलों आदि को खोलने से पूर्व बीज का नमूना निकालकर उसे तीन भागों में बांटकर मुंहरबंद किया जाएगा और निम्नानुसार वितरित किया जाएगा:–

1. ध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल।
2. आवेदक व्यक्ति/संस्था।
3. उस प्रमाणीकरण संस्था को जिसने मूल प्रमाणीकरण किया है पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा तत्पश्चात उस बीज लाट की पुनः प्रक्रिया करवाकर पुनः बीज परीक्षण कराया जा सकेगा।

24.2 बीज परीक्षण प्रयोगशाला से मानकों के अनुरूप परिणाम आने पर वैधता अवधि छः माह बढ़ाने हेतु प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–8) जारी किया जा कर उसका विवरण निम्नानुसार किया जाएगा:–

1. आवेदक व्यक्ति/संस्था
2. संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी
3. संबंधित संभागीय कार्यालय
4. प्रधान कार्यालय द्वारा मूल प्रमाणीकरण मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया गया होने पर और ऐसे बीज लाट की पुनः प्रक्रिया आवेदित की जाने पर भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के परिशिष्ट IV के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसे लाट हेतु जारी किया गया वैधता टैग पर संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पुनः प्रक्रिया करवाकर अथवा बोरे/थैले खोलकर, वैधता अवधि बढाई जाएगी। ऐसे बोरों/थैलों के प्रमाणीकरण टेग, संस्था द्वारा सुरक्षित रखकर नयें प्रमाणीकरण टैग, जिसमें मूल टैग का पूर्ण विवरण(मूल प्रमाणीकरण संस्था के नाम सहित) होगा, निर्धारित शुल्क प्राप्तकर जारी किये जाऐंगे। इन टैगो के अनुक्रमांक मूल प्रमाणीरकण संस्था को लाटवार सूचित किये जावेगें एवं ऐसे प्रत्येक लाट के दो टैग संस्था रखेगी शेष नष्ट कर देगी।

24.2 संबंधित बीज लाट जो कि परीक्षण में मानकों के अनुरूप पाया गया हो, के प्रत्येक बोरे/थैले के लिए नया वैधता टैग निर्धारित मूल्य प्राप्त कर केवल पहली बार वैधता अवधि बढ़ाते समय दिया जाएगा।

24.3 प्रमाणीकरण का मूल टैग, वैधता अवधि बढाते समय बोरो/थैलों से उतारा नहीं जाएगा। यदि संभव हो तो वैधता अवधि बढ़ानें का टैग बोरों/थैलों पर सिलाई कर लगाया जाएगा,अन्यथा मूल टैग पर ही लगा(Staple) कर दिया जाएगा।

24.4 वैधता अवधि बढाने के कार्य हेतु प्रमाणीकरण संस्था की निम्न परिस्थितियों कें लिए शुल्क निर्धारित करेगी :–

1– जहां थैले/बोरे खोले जाना हो।
2– जहां थैले/बोरे खोलकर नमूने लेकर पुनः मुहरबंद किए गए हो।
3– जहां पुनः प्रक्रिया सहित वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जावे,

वहां प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित अग्रिम शुल्क देय होगा।

24.5 जिन फसलों में अनुवांशिक शद्धता परीक्षण के बाद टैग जारी किये जाते है, ऐसी फसल का बीज यदि अन्य किसी प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित है तो बीज वैधता अवधि बढाने हेतु आवेदित होने पर उक्त लाट में वैधता टैग न लगाये जाकर सिर्फ वैधता अवधि बढ़ाने संबंधी विवरण की सील बाहर लगाई जाएगी।

24.6 जिन बीज लाट्स की पुनः वैधता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाए वे केवल, आधार या प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत किसी भी प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित होना चाहिये।

25– <u>भौतिक दिखावटः–</u>

प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत बीजः–

1–बदरंग होने पर–वर्षा , अधिक नमी या अन्य किसी भी कारण से भौतिक रूप से खराब बीज जिससे संस्था की राय में बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्रमाणीकरण के लिए मान्य नहीं किया जाएगा।

2–बीज किसी कीट, व्याधि, फफूंद या यांत्रिक कारणों से 0.5 प्रतिशत से अधिक खराब नहीं होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से किसी लाट के उतने ही भाग को अयोग्य मानकर निरस्त या अलग कर देना चाहिये बशर्ते कि संस्था को यह विश्वास हो कि भौतिक रूप से खराब हिस्सा अलग करने के पश्चात शेष बीज लाट उपरोक्त सीमा से अधिक खराब नहीं है।

26– <u>अग्रिम टैगिंग</u>

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अन्तर्गत सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान XXIX(b) के अन्तर्गत अग्रिम टैगिंग की अनुमति पर्याप्त सावधानियां सुनिश्चित करते हुये संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दी जावेगी।

26.1 उत्पादक संस्था के प्रमुख को रु 100/– के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जिन बीज लाट्स की अग्रिम टैगिंग की जानी है, उनका आवेदन/करारनामा सहित सम्बन्धित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट–IX)

26.2 आवेदन के अर्न्तगत बीज लाट्स अग्रिम टैगिंग उपरान्त किस स्थान पर रखे जायेगे इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

26.3 आवेदित बीज लाट की अग्रिम टैगिंग के लिये अधिकृत व्यक्ति अग्रिम टैगिंग के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं परिशिष्ट–X अनुसार जानकारी उपलब्ध करायेगा। अमानक बीज लाट के टेग वापस करने का उल्लेख आवेदन में किया जाना अनिवार्य होगा।

26.4 अग्रिम टैगिंग के लिये बीज लाट की ग्रेडिंग तुरन्त की जाकर सेम्पलिंग करके सीधे पेकिंग कराना अनिवार्य होगा।

26.5 अग्रिम टैगिंग एवं पैकिंग किये गये बीज लाटो के भंडारण के दौरान उक्त बीज लाटो की गुणवत्ता बनाये रखने की जवाबदारी उत्पादक संस्था/अग्रिम टैगिंग हेतु अधिकृत व्यक्ति की होगी।

26.6 टेग व लेबल एवं प्रमाण–पत्र के शीर्ष पर 'अग्रिम टैगिंग ' शब्द (बड़े अक्षरों में) अकिंत किया जायेगा।

26.7 अग्रिम टैगिंग के अन्तर्गत जारी टेग व लेबल पर बीज परीक्षण की तिथि के स्थान पर नमूना लेने की तिथि एवं वैधता तिथि के स्थान पर नमूना लेने की तिथि से 9 माह की वैद्यता की तिथि अंकित की जायेगी।

26.8 टैग पर प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि के स्थान पर अग्रिम टैगिंग की तिथि अंकित की जावेगी।

26.9 यदि बिन्दु क्र. 26.2 मे उल्लेखित भण्डारण के स्थान प्रमाणीकरण संस्था के दो अलग अलग अधिकारियों के अर्न्तगत आते है तो बीज शिफ्टिंग के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को भी अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा।

26.10 अग्रिम टैगिंग के परीक्षण परिणाम प्राप्त होने पर मानक अनुरुप पाये गये बीज लाट्स का अंतिम प्रमाण पत्र पर विपणन के लिये मुक्त (Realase for Sale) की मोहर लगाकर संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जारी करेंगे। इसके पश्चात ही प्रमाणित बीज लाट्स निर्धारित स्थान से हटाये जा सकेगें।

26.11 अमानक पाये गये बीज लाट के टेग उत्पादक संस्था को वापस करना होगे एवं इनका शुल्क वापस नहीं होगा। अमानक बीज लॉट यदि पुनः परीक्षण की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें

नियमानुसार आवेदन देकर पुनः परीक्षण कराकर निर्धारित मानक स्तर का परिणाम प्राप्त होने के बाद ही उनकी फिर से टैगिंग की जा सकेगी।

26.12 पुनः वैधता एवं पुनः परीक्षण के बीज लाट्स का अग्रिम टैगिंग नहीं किया जायेगा।

26.13 यदि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित बीज उत्पादक संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

27– प्रमाण–पत्र का खण्ड़न :–

प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज अधिनियम 1966 की धारा–9(3) के तहत जारी किये गये प्रमाण–पत्र का आवश्यकता पड़ने पर बीज अधिनियम 1996 की धारा–10 के अंतर्गत सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान –XXXII में उल्लेखित शर्तो के आधार पर खण्डन करने का अधिकार संस्था को है।

28– कार्यप्रणाली के संबंध में प्रबंध संचालक के अधिकारः–

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ऊपर बतायी गयी कार्यप्रणाली में समय–समय पर आवश्यकतानुसार सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

29– अपीलः–

बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं केन्द्रीय बीज अधिनियम 1966 की धारा–9 एवं 10 के अन्तर्गत प्रमाणीकरण संस्था के किसी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस नियम की धारा–11 के अनुसार गठित अपील प्राधिकारी के सामने संस्था द्वारा दिये गये उक्त निर्णय सूचित किये जाने के 30 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क जमा कराने पर अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

30– निर्वचन (**Interpretation**):

संस्था की इस कार्यप्रणाली के किसी भी बिन्दु या प्रावधान के निर्वचन (Interpritation) के संबंध में विवाद की स्थिति में संस्था अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

परिशिष्ट I

म. प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

क्रमांक ------ आवेदन शुल्क रू. 25/-

स्थान ------------ राज्य------------

प्रति

प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था
भोपाल।

द्वाराः- बीज प्रमाणीकरण अधिकारी..........................संभाग।

विषयः- बीज उत्पादक संस्था के पंजीयन/नवीनीकरण **एक/तीन वर्ष** हेतु आवेदन पत्र।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीज प्रमाणीकरण कार्य हेतु हमारी संस्था/समिति/कम्पनी का उत्पादक संस्था पंजीयन/नवीनीकरण एक/तीन वर्ष किये जाने हेतु आवश्यक जानकारी निम्नानुसार हैः-

1) आवेदक का पूरा नाम एवं पता------------------------------
पिता/पति का नाम------------------------------
अ) उत्पादक संस्था का नाम ------------------------------
पता ------------------------------
सम्पर्क दूरभाष (कोड सहित)----------मोबाईल क्र.--------------
ई-मेल------------------------------

ब) बीज संसाधन कार्य हेतु प्रस्तावित बीज प्रक्रिया केन्द्र स्वंय अथवा किराये का होगा।

स) पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्र का विवरणः-
प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन क्र.-------प्रक्रिया केन्द्र का नाम------------
प्रक्रिया केन्द्र का पता------------------------------
तहसील--------------------जिला--------------------
सम्पर्क दूरभाष (कोड सहित)----------मोबाईल क्र.--------------
ई-मेल------------------------------

द) तीन वर्ष हेतु उत्पादक संस्था पंजीयन/नवीनीकरण आवेदन की स्थिति में स्वंय के स्वामित्व के भण्डार गृह में स्थापित स्वंय का प्रक्रिया केन्द्र होने का शपथ पत्र मय अभिलेखो की सत्यापित छायाप्रति सहित संलग्न है/नहीं।.....................

2) क्या यह **उत्पादक संस्था/फर्म**, स्वामित्व/भागीदार/लिमिटेड कम्पनी/ समिति के रूप में पंजीकृत है ? यदि हां तो -
(अ) किस नाम से पंजीकृत है------------------------------

(ब) पंजीयन प्राधिकारी एवं कार्यालय——————————————————————————

(स) पंजीयन/लायसेंस क्रमांक व दिनांक———————————————————

(उक्त विवरण अनुसार फर्म पंजीयन की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

3) क्या फर्म बीज व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय करती है। करेगी (यदि हां तो व्यवसाय का विवरण देवे)————————————————————————————————

4) **बीज विपणन हेतु संबंधित फर्म** बीज व्यवसाय **का वैध लायसेंस संबंधी** पूरा विवरण दें।

(अ) बीज उत्पादक संस्था/फर्म का नाम——————————————————————

(ब) लायसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी एवं कार्यालय—————————————————

(स) वैध बीज व्यापार लायसेंस का क्रमांक एवं वैद्यता दिनांक——————————

बीज व्यापार लायसेंस की वैध सत्यापित प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

5) फर्म के स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता ——

6) विक्रय/वाणिज्य कर पंजीयन क्रमांक यदि हो तो उल्लेख करें——————————

7) फर्म के पंजीयन हेतु शुल्क रू——————————का बैंक ड्राफ्ट/चालान क्रमांक————दिनांक————बैंक का नाम————————————संलग्न है।

8) घोषणा :— मै घोषणा करता/करती हूं कि जो भी जानकारी ऊपर दी गयी है, वह मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है एवं मैने संस्था की कार्यप्रणाली एवं भारतीय न्यूनतम बीज मानकों के प्रावधानों को पढ़ लिया है। मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं।

स्थानः— फर्म मालिक/स्वामी का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांकः— फर्म की मुहर ————————————————

——

बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्यालयीन उपयोग हेतु

1) उक्त फर्म में ————————————————————————— को पंजीयन एक/तीन वर्ष हेतु मान्य/अमान्य किया जाता है।

2) पंजीयन हेतु उपयुक्त होने के कारण फर्म का बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीयन कर प्रमाण पत्र क्र.———————————————————— आवंटित किया जाता है।

दिनांक ....

अधिकृत अधिकारी
(मोहर सहित)

परिशिष्ट II

म. प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

क्रमांक ————————

प्रति (आवेदन शुल्क–रूपये–3/)

बीज प्रमाणीकरण अधिकारी
....................................संभाग।

आवेदक कृषक का फोटो स्थानीय जनप्रतिनिधि/ शा.अधिकारी से सत्यापित

विषयः– बीज उत्पादन कार्यक्रम के फसल पंजीयन हेतु आवेदन पत्र।

1.आवेदक का नाम...**पिता/पति का नाम**..
ग्राम..............................पोस्ट.................................तहसील..........................जिला.................................
2. क्या अनुसूचित जाति के है :– हां/नहीं। जनजाति के है :– हां/नहीं
3.निवास पता...
4.सम्पर्क दूरभाष..**मोबाईल नंबर**..
ई–मेल..
5 बीज किस उत्पादक संस्था के माध्यम से लिया गया है ....
6. आवेदक का खेत कहॉ स्थित है (स्पष्ट स्थिति राजमार्ग सहित दें)...
ब–आवेदक के पास स्वामित्व पर धारित कुल भूमि कितनी है? विवरण दें
ग्राम..कुल भूमि (रकबा हेक्ट.में)..
बीज उत्पादन हेतु बोई जा रही भूमि का विवरण
7. आवेदित भूमि के आधिपत्य संबंधी विवरण (प्रमाण संलग्न करें)...
8. प्रस्तावित फसल का नाम...किस्म..
9. बोये गये बीज की श्रेणी..................प्रमाणित किस श्रेणी में होना है......................................
10. बोये गये बीज का लाट क्रमांक..
11. बोई गई मात्रा क्विंटल में..
12. उत्पादक संस्था द्वारा प्रदाय बीज का चालान क्र.......................दिनांक................................
13. कितने क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है (हेक्टेयर में).............................
अ–बोयी जा रही भूमि का विवरण

नाम भूमि स्वामी	प्रस्तावित क्षेत्रफल	भूमि का सर्वे क्रमांक

14. बोनी की तिथि..
15. टैग क्रमांक..(टैग संलग्न है)

16. किस प्रक्रिया केन्द्र पर संसाधन करना है ....
17. पंजीयन शुल्क .... बैंक ड्राफ्ट नं...

निरीक्षण शुल्क.................................... तारीख..
बीज परीक्षण शुल्क .... राशि...
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क...
ग्रोआउट परीक्षण शुल्क......................................
कुल योग रूपये ....

मैं म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करूंगा।

दिनांक.................

सम्बन्धित उत्पादक संस्था का अधिकृत प्रतिनिधि /प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर

आवेदक कृषक के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

पंजीयन क्रमांक	फसल	किस्म	श्रेणी	आवेदन मान्य/अमान्य	कारण

सहा./उप./बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–III

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

क्र.	मद	दिनांक 15–04–2021 से प्रभावी बीज प्रमाणीकरण शुल्क की दरें
1–	आवेदन पत्र	12 रूपये प्रति आवेदन
2–	पंजीयन शुल्क	25 रूपये प्रति ऋतु प्रति उत्पादक
3–	निरीक्षण शुल्क	
अ–	धान, गेहूँ व अन्य स्वपरागित फसलें	345 रूपये प्रति हैक्टेयर
ब–	परपरागित फसलें व सब्जियॉं	518 रूपये प्रति हैक्टेयर
स–	संकर फसलें	863 रूपये प्रति हैक्टेयर
4–	पुनः निरीक्षण शुल्क	सामान्य निरीक्षण शुल्क का पचास प्रतिशत
5–	बीज परीक्षण शुल्क	
अ–	प्रमाणीकरण के नमूने	230 रूपये प्रति नमूना
ब–	सर्विस सेम्पल	230 रूपये प्रति नमूना
6–	बीज स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क	
अ–	गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान	29 रूपये प्रति नमूना
7–	वैधीकरण शुल्क	
अ–	संकर फसलें	35 रूपये प्रति क्विं.
ब–	सामान्य फसलें	23 रूपये प्रति क्विं.
स–	बीज परीक्षण शुल्क	58 रूपये प्रति नमूना
8–	ग्रो आउट परीक्षण शुल्क	
अ–	संकर फसलें	575 रूपये प्रति नमूना
ब–	सामान्य फसलें	345 रूपये प्रति नमूना
9–	बीज प्रक्रिया शुल्क	
अ–	संकर फसलें	23 रूपये प्रति क्विं
ब–	सामान्य फसलें	23 रूपये प्रति क्विं
10–	पुनः प्रक्रिया शुल्क	23 रूपये प्रति क्विं

क्र.	मद	दिनांक 15–04–2021 से प्रभावी बीज प्रमाणीकरण शुल्क की दरें
11–	टैग शुल्क	6 रूपये प्रति टैग
12–	स्पाट टैगिंग शुल्क	17 रूपये प्रति क्विं
13–	संस्थागत पंजीयन	
अ–	आवेदन पत्र	29 रूपये प्रति आवेदन
ब–	पंजीयन शुल्क (एक वर्ष हेतु)	2875 रूपये
स–	नवीनीकरण शुल्क (एक वर्ष हेतु)	1150 रूपये
द–	पंजीयन शुल्क (तीन वर्ष हेतु)	4000 रूपये
ई–	नवीनीकरण शुल्क (तीन वर्ष हेतु)	3000 रूपये
14–	बीज प्रक्रिया केन्द्र	
अ–	पंजीयन शुल्क (एक वर्ष हेतु)	2300 रूपये
ब–	नवीनीकरण शुल्क (एक वर्ष हेतु)	1438 रूपये
स–	पंजीयन शुल्क (तीन वर्ष हेतु)	4000 रूपये
द–	नवीनीकरण शुल्क (तीन वर्ष हेतु)	3000 रूपये
15–	बीज स्थानांतरण शुल्क	12 रूपये प्रति क्विं
16–	बीज विपणन शुल्क	23 रूपये प्रति क्विं

बीज उत्पादक संस्थायें प्रमाणीकरण शुल्क का भुगतान चालान के अतिरिक्त ऑनलाईन भी कर सकती हैं। ऑनलाईन प्रमाणीकरण शुल्क जमा करने पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त पेमेंट गेटवे शुल्क का भुगतान संबंधित को करना होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार हैः–

1– क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर भुगतान की जा रही राशि का 1.2 %+ कर।

2– डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर रू. 2000/– तक की राशि पर 0.75 % + कर तथा रू. 2000/– से ज्यादा की राशि पर 0.95 %+ कर।

3– इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से राशि जमा करने पर भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त प्रति ट्रान्जेक्शन रू 12.00+ कर का भुगतान करना होगा।

परिशिष्ट–IV

बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन से प्रमाणीकरण तक के कार्यो हेतु निर्धारित अंतिम तिथियां

खरीफ

क्र.	विवरण	अंतिम तिथि
(1)	फसल पंजीयन हेतु अंतिम तिथियांः–	
अ–	पैतृक बीज के भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि	30 जून
ब–	फसल पंजीयन आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि	– संभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के 10 दिवस में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।
1.1	संकर कपास	15 जुलाई
1.2	उन्नत कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, संकर मक्का व अन्य फसलें	31 जुलाई
1.3	रामतिल	31 अगस्त
1.4	धान	31 अगस्त
1.5	अरहर, उडद, मूंग, जूट, अरंडी, सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	31 अगस्त
1.6	कोदो एवं कुटकी	31 अगस्त
(2)	**असंसाधित/स्थानांतरित बीज, प्रक्रिया केन्द्र में प्राप्ति की अंतिम तिथियां :–**	
2.1	मक्का, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, उडद, मूंग, सूरजमुखी, तिल, संकर मक्का	31 जनवरी
2.2	कोदो एवं कुटकी	31 जनवरी
2.3	रामतिल	31 जनवरी
2.4	संकर कपास, उन्नत कपास	05 जनवरी
2.5	संकर बाजरा एवं संकर ज्वार, सोयाबीन	31 जनवरी
2.6	धान	31 जनवरी
2.7	अरहर, जूट, अरंडी	31 मार्च
2.8	अन्य सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	31 मार्च
(3)	**बीज प्रक्रिया व नमूने भेजने की अंतिम तिथिः–**	**असंसाधित बीज की निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जाती हैः–**
3.1.	मक्का, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, मूंग, उडद, सूरजमुखी एवं तिल	28 फरवरी
3.1.1	जी. ओ. टी. हेतु	15 फरवरी
3.2	संकर कपास (बीज परीक्षण हेतु)	15 जनवरी
3.2.1	जी. ओ. टी. हेतु	15 जनवरी
3.3	कोदो एवं कुटकी	28 फरवरी
3.3.1	जी. ओ. टी. हेतु	15 फरवरी
3.4	रामतिल	28 फरवरी
3.4.1	जी.ओ.टी. हेतु	31 जनवरी

क्र.	विवरण	अंतिम तिथि
3.5	धान, उन्नत कपास, संकर बाजरा, संकर ज्वार, सोयाबीन, (बीज परीक्षण हेतु)	10 मार्च
3.5.1	जी. ओ. टी. हेतु	05 फरवरी
3.6	अरहर, जूट, अरंडी (बीज परीक्षण हेतु)	15 अप्रैल
3.6.1	जी.ओ.टी. हेतु	31 मार्च
3.7	सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें (बीज परीक्षण हेतु)	15 अप्रैल
3.7.1	जी. ओ. टी. हेतु	31 मार्च
(4)	**बीज परीक्षण उपरांत परिणाम उपलब्धि की अंतिम तिथियां:–**	**बीज नमूना भेजने से 30 दिन के अंदर।**
(5)	**बीज टैगिंग एवं पैकिंग की अंतिम तिथियां:–**	**बीज परीक्षण परिणाम प्राप्ति के शीध्र बाद किन्तु अधिकतम निम्नानुसार**
5.1	मक्का, ज्वार, बाजरा, उडद, मूंग तिल, रामतिल एवं संकर मक्का	31 मई
5.2	संकर कपास, उन्नत कपास	31 मई
5.3	कोदो एवं कुटकी, सूरजमुखी	31 मई
5.4	धान, संकर बाजरा, संकर ज्वार, सोयाबीन	31 मई
5.5	अरहर, उडद, मूंग, जूट, अरंडी	31 मई
5.6	सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	31 मई
(6)	**पुनःप्रक्रिया हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि–**	**बीज परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर**
(7)	**ग्रो–आउट परीक्षण हेतु तिथियों का निर्धारण :–**	
7.1	नमूने कोडिंग की तिथिः–	
7.1.1	संकर कपास हेतु	20 जनवरी
7.1.2	अन्य फसलो, सब्जियां मसाला, एवं उद्यानिकी फसलें	31 मार्च
7.2	बोआई की तिथिः–	
7.2.1	संकर कपास हेतु	30 जनवरी
7.2.2	अन्य फसले, सब्जियॉ, मसाला एवं उद्यानिकी फसलें	5 अप्रैल
7.3	**ग्रो–आउट परीक्षण हेतु निरीक्षण की तिथियां– (प्लाट्स निरीक्षण तिथियां):–**	
7.3.1	संकर कपास हेतु	15 अप्रैल– 25 अप्रैल
7.3.2	उडद, मूंग, सोयाबीन, उन्नत कपास एवं धान	15 मई
7.3.3	अन्य फसले, सब्जियॉ, मसाला एवं उद्यानिकी फसलें	15 मई
7.4	**परीक्षण परिणाम भेजने की अंतिम तिथिः–**	
7.4.1	संकर कपास हेतु	20 अप्रैल– 30 अप्रैल
7.4.2	उडद, मूंग	20 मई
7.4.3	सोयाबीन, उन्नत कपास	20 मई
7.4.4	धान	20 मई

क्र.	विवरण	अंतिम तिथि
7.4.5	अन्य फसले, सब्जियॉ, मसाला एवं उद्यानिकी फसलें	20 मई

रबी

क्र.	विवरण	अंतिम तिथि
(1)	**फसल पंजीयन की अंतिम तिथियां–**	
अ–	पैतृक बीज के भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि	
1.1	तोरिया, अलसी, मसूर, सरसों	10 नवम्बर
1.2	आलू एवं मटर	15 नवम्बर
1.3	गेहूँ, जो, चना एवं संकर मक्का व अतिरिक्त अन्य रबी फसलें	15 जनवरी
1.4	बरसीम, सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	15 जनवरी
ब–	फसल पंजीयन आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि	– संभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के 10 दिवस में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।
1.1	तोरिया, अलसी, मसूर, सरसों	15 नवम्बर
1.2	आलू एवं मटर	25 नवम्बर
1.3	गेहूँ, जो, चना एवं संकर मक्का व अतिरिक्त अन्य रबी फसलें	31 जनवरी
1.4	बरसीम, सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	31 जनवरी
(2)	**असंसाधित बीज, प्रक्रिया केन्द्र में प्राप्ति की अंतिम तिथियां–**	
2.1	जल्दी बोई जाने वाली फसलें :– तोरिया, अलसी, सरसों, मसूर	15 अप्रैल
2.2	मटर	–
	अ. आधार श्रेणी के बीज लाट हेतु	30 अप्रैल
	ब. प्रमाणित श्रेणी के बीज लाट हेतु	30 अप्रैल
2.3	मध्यम बोई जाने वाली फसलें– चना	
	अ. आधार श्रेणी के बीज लाट हेतु	10 मई
	ब. प्रमाणित श्रेणी के बीज लाट हेतु	10 मई
2.4	देर से बोई जाने वाली फसलें :– गेंहूँ एवं जौ (आधार श्रेणी के लाट्स हेतु)	30 मई
2.5	गेंहूँ, जौ एवं संकर मक्का प्रमाणित श्रेणी के लाट्स हेतु)	30 मई
2.6	बरसीम, सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	
2.6.1	आधार	15 जुलाई
2.6.2	प्रमाणित	15 जुलाई
2.7	आलू	31 मार्च

क्र.	विवरण	अंतिम तिथि
(3)	**बीज प्रक्रिया व नमूने भेजने की अंतिम तिथि–**	**असंसाधित बीज की निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जाती हैः–**
3.1	जल्दी बोई जाने वाली फसलेंः–	
3.1.1	तोरिया, सरसों, अलसी, मसूर (बीज परीक्षण हेतु)	30 जून
3.1.2	जी. ओ. टी. हेतु	30 अप्रैल
3.2	मध्यम बोई जाने वाली फसलेंः–	
3.2.1	चना, मटर, गेहूँ एवं संकर मक्का (बीज परीक्षण हेतु)	30 जून
3.2.2	जी. ओ. टी. हेतु	30 अप्रैल
3.3	देर से बोई जाने वाली फसलेंः–	
3.3.1	गेंहू, जौ एव संकर मक्का (बीज परीक्षण हेतु)	10 अगस्त
3.3.2	जी. ओ. टी. हेतु	30 अप्रैल
3.3.3	बरसीम, सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें (बीज परीक्षण हेतु)	10 अगस्त
3.3.4	बरसीम, सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें जी.ओ.टी. हेतु	20 जुलाई
3.4.1	रबी फसलों के ग्रो–आउट परीक्षण परिणाम भेजने की अंतिम तिथि समस्त रबी फसलें	25 सितम्बर
(4)	**बीज परीक्षण परिणाम भेजने की अंतिम तिथिः–**	**बीज नमूना भेजने से 30 दिवस के अन्दर**
(5)	**बीज टैगिंग एवं पैकिंग की अंतिम तिथियांः–**	**बीज परीक्षण परिणाम प्राप्ति से एक माह के अंदर किन्तु अधिकतम निम्नानुसार**
5.1	जल्दी बोई जाने वाली फसलें–	
5.2	आलू	31 मार्च
5.3	तोरिया, सरसों, मसूर एवं अलसी	15 सितम्बर
5.4	मध्यम बोई जाने वाली फसलें– चना एवं मटर	15 अक्टूबर
5.5	गेहूँ,जौ एवं संकर मक्का	15 नवम्बर
5.6	बरसीम, सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	30 नवम्बर
(6)	**पुनःप्रक्रिया हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि–**	**बीज परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर**

ग्रीष्म

क्र.	विवरण	अंतिम तिथि
(1)	फसल पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथियां:–	
अ–	पैतृक बीज के भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि	
1.1	धान	15 फरवरी
1.2	सोयाबीन, मक्का	20 मार्च
1.3	मूंग, उडद	20 मार्च
1.4	सब्जियॉ, मसाला अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	31 मार्च
ब–	फसल पंजीयन आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि	– संभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के 10 दिवस में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।
1.1	धान	15 मार्च
1.2	सोयाबीन, मक्का	31 मार्च
1.3	मूंग, उडद	31 मार्च
1.4	सब्जियॉ, मसाला अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	30 अप्रैल
		बोनी की तिथि के 20 दिन के अंदर किन्तु अधिकतम उक्त अंतिम तिथियों तक आवेदन स्वीकार किये जा सकेगे।
(2)	अंससाधित बीज, प्रक्रिया केन्द्र में प्राप्ति की अंतिम तिथियां:–	
2.1	धान	31 जुलाई
2.1.1	धान जी.ओ.टी. हेतु	05 अगस्त
2.2	सोयाबीन, मक्का	31 जुलाई
2.2.1	सोयाबीन, मक्का जी.ओ.टी. हेतु	05 अगस्त
2.3	मूंग, उडद	31 जुलाई
2.3.1	मूंग, उडद जी.ओ.टी. हेतु	05 अगस्त
2.4	सब्जियॉ, मसाला अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	31 अगस्त
2.4.1	सब्जियॉ जी.ओ.टी. हेतु सभी सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें (कन्द फसलों को छोड़कर)	05 अक्टूबर
(3)	बीज प्रक्रिया व नमूना भेजना:–	असंसाधित बीज की निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जाती है:–
3.1	धान	31 अगस्त
3.2	सोयाबीन, मक्का	31 अगस्त
3.3	मूंग, उडद	31 अगस्त
3.4	सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	31 अगस्त
(4)	बीज परीक्षण परिणाम प्राप्ति:–	नमूना प्रयोगशाला भेजने से 30 दिन के अंदर
(5)	बीज की टैगिंग एवं पैकिंग की अंतिम तिथियां:–	बीज परीक्षण परिणाम प्राप्ति से एक माह के अंदर किन्तु अधिकतम निम्नानुसार
5.1	धान	30 नवम्बर
5.2	सोयाबीन, मक्का	30 नवम्बर
5.3	मूंग, उडद	31 दिसम्बर

क्र.	विवरण	अंतिम तिथि
5.4	सब्जियॉ, मसाला एवं अन्य समस्त उद्यानिकी फसलें	31 दिसम्बर

नोटः–1 उपरोक्त निर्धारित अंतिम तिथियों के पश्चात 20 दिवस तक विलम्ब शुल्क के साथ फसल पंजीयन में 50रू. प्रति हेक्टे. एवं भौतिक सत्यापन, बीज प्रक्रिया/पुनः प्रक्रिया व नमूना लेने एवं टैगिंग में 25रू. प्रति क्विं. की दर से तिथि वृद्धि की जावेगी। जिसकी अनुमति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी स्तर से की जावेगी।

2–प्राकृतिक आपदा/वर्षा/अतिवृष्टि से बोई गई फसले नष्ट होने व पुनः बुवाई होने पर पैतृक बीज सत्यापन/पंजीयन की अनुमति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के आवेदन पर प्रबंध संचालक द्वारा दी जावेगी।

3–ग्रीष्म में उत्पादित बीजों का खरीफ फसलों में उपयोग होने के कारण ग्रीष्म फसलों को ग्रो–आउट परीक्षण से मुक्त रखा जायेगा।

संसाधन जाली छिद्रों के आकार परिशिष्ट V

क्र.	फसल	जाली का माप मि.मि. में	
		ऊपरी जाली	निचली जाली
	खाद्यान **Cereals**		
1	जौ (Barley:) 2 Rowed 6 Rowed	6.50 r 6.50 r	2.30 s 2.10 s, 2.20 s
2	धान (Paddy)	2.80 s, 9.00 r	1.80 s, 1.85 s
3	गेहूँ (Wheat :) T. aestivum T. durum	6.00 r 6.00 r	1.80 s, 2.10 s, 2.30 s 2.10 s, 2.30 s
4	ट्रिटकेल (Triticale)	6.00 r, 7.00 r	2.10 s, 2.30 s
	मिलेट्स **(Millets)**		
1	मक्का (Maize except popcorn)	10.50 r, 11.00 r	6.40 r, 8.00 r
2	पॉपकार्न (Popcorn)	8.75 r	4.25 r, 4.75 r
3	ज्वार (Sorghum)	4.75 r	2.10 s, 3.50 r
4	बाजरा (Pearl Millet)	3.25 r	1.30 r, 1.30 s, 1.40 r, 1.40 s, 1.60 r, 1.90
5	बर्नयार्ड मिलेट्स (Barnyard Millet)	3.25 r	1.40 s, 1.80 r
6	कॉमन मिलेट्स (Common Millet)	3.80 r	1.60 s
7	फ़िंगर मिलेट्स (Finger Millet)	3.25 r	1.40 s
8	इटालियन मिलेट्स (Italian Millet)	3.25 r	1.20 s, 1.30 r
9	कोदो मिलेट्स (Kodo Millet)	3.80 r	1.60 s, 2.00 r
10	लिटिल मिलेट्स (Little Millet)	2.50 r	1.60 r
	दाले **(Pulses)**		
1	उर्द (Blackgram)	5.00 r	2.80 s
2	चना (Bengalgarm)	9.00 r, 10.00 r	5.00 r, 5.50 r, 6.00 r
3	लोबिया (Cowpea)	7.00r	3.50 r, 4.00 r
4	मूँग (Greengram)	5.50 r	2.80 s, 3.20 s
5	सेम (Indian Bean)	8.75 r	4.75 s
6	मसूर (Lentil)	7.00 r	3.20 s, 4.00 r, 4.75 r
7	अरहर (Pigcon Pea)	9.50 r	3.20 s, 4.00 r, 4.75 r
8	राजमा (Frenchbean)	11.0 r	4.75 s
	तिलहन **(Oilseeds)**		
1	अरण्डी (Castor)	13.50 r	4.40 s, 6.00 r
2	राई एवं सरसो (Indian Rapeseed & Mustard)	2.75 r, 3.00 r, 3.25 r	0.90 s, 1.00 s, 1.10 s, 1.40 r
3	अलसी (Linseed)	4.00 r	2.00 r
4	रामतिल (Niger)	3.20 r	1.20 s
5	तारामीरा (Rocket Salad)	3.20 r	1.10 s, 1.20 s
6	कुसुम (Safflower)	7.25 r	1.20 s

क्र.	फसल	जाली का माप मि.मि. में	
		ऊपरी जाली	निचली जाली
7	तिल (Sesame)	2.40 r	1.60 r, 1.90 r
8	सोयाबीन (Soyabean)	8.00 r	4.00 s
9	सूर्यमुखी (Sunflower)	9.00 r	2.40 s
	रेशे वाली फसले (Fibres)		
1	कपास (Cotton:) Fuzzy Delioted	14.30 r 7.20 r	5.20 s 3.90 s
2	जूट (Jute:) Capsularis Olitorius	2.40 r 2.00 r	1.20 r, 1.60 r 0.80 r, 1.00 r
	चारे वाली फसले (Forages)		
1	बरसीम (Berseem:) Diploid Tetraploid	2.00 r 2.40 r	1.00 s 1.20 s
2	ज्वार चारा (Forage Sorghum)	4.00 r, 4.75 r	2.10 s
3	ग्वार (Guar (Cluster Bean)	6.00 r	1.80 s
4	ग्यूनियाग्रास (Guineagrass)	2.10 r	2.40 X 0.65 m
5	सेंजी (Indian Clover)	2.10 r	2.40 X 0.80 m
6	लूसर्न (Lucerne)	2.50 r	0.70 s, 0.70 X 0.70 m
7	जई (Oats)	7.50 r	2.00 s
8	सेटारिया ग्रास (Setaria Grass)	2.40 r	1.90 s
9	सुडान ग्रास (Sudan Grass)	4.00 r	1.20 s, 1.30 s
	सब्जी वाली फसले (Vegetable Crops)		
	कद्दु बर्गीय फसले (Cucurbits:)		
1	ऐशगार्ड (Ashgourd)	9.50 r	6.40 r
2	करेला (Bittergourd)	11.00 r	6.50 r
3	लौकी (Bottlegourd)	11.00 r	6.50 r
4	ककडी (Cucumber)	8.00 r	2.00 r, 2.50 r
5	टिन्डा (Indian Squash)	9.50 r	6.40 r
6	लॉगमेलन (Longmelon)	5.00 s	1.00 r
7	खरबूजा (Muskmelon)	5.00 s	1.00 r
8	कद्दु (Pumpkin)	11.00 r	6.50 r
9	तोरई (Ridgegourd)	9.50 r	6.40 r
10	स्नेकगार्ड (Snakegourd)	9.50 r	6.40 r
11	स्नेपमेलन (Snapmelon)	5.00 s	1.00 r
12	गिल्की (Spongegourd)	9.50 r	6.40 r
13	समर स्क्वेश (Summer Squash)	8.00 r	2.00 r
14	तरबूज (Watermelon)	6.00 r	1.80 s
	फल वाली सब्जियां (Fruit Vegetables)		

क्र.	फसल	जाली का माप मि.मि. में	
		ऊपरी जाली	निचली जाली
1	बैंगन (Brinjal)	4.00 r	0.80 s, 2.10 r
2	केपिसकम (Capsicum) (Sweet Pepper)	4.00 r	0.80 s, 2.10 r
3	मिर्च (Chilli) (Hot Pepper)	4.00 r	0.80 s, 2.10 r
4	भिण्डी (Okra)	6.00 r	4.30 r
5	रेट–टैल रेडिश (Rat-tall Radish)	4.50 r	2.00 r
6	टमाटर (Tomato)	4.00 r	0.80 s, 2.10 r
	हरी पत्तीदार सब्जियां (Greens/Leafy Vagetables)		
1	एसपेरागस (asparagus)	6.00 r	2.40 r
2	सिलेरी (Celery)	1.80 r	0.40 s, 0.65 X 0.65 m
3	मेथी (Fenugreek) Large & Medium Small	 3.25 r 2.10 r	 1.20 s 0.69 X 0.69 m
4	सलाद (Lettuce)	2.30 r	0.80 r
5	पार्सले (Parsley)	2.75 r	0.75 s
6	चुकन्दर (Spinach Beet)	5.50 r	1.80 s, 1.85 s, 2.25 r
7	पालक (Spinach:) Round Seeded Sharp Seeded	 5.00 r 8.00 r	 2.75 r 2.50 r
	कॉलक्राप्स (Cole Crops)		
1	पत्तागोभी (Cabbage)	2.75 r	0.90 s
2	फूलगोभी (Cauliflower)	2.75 r	1.10 s
3	ब्रोकोली (Broccoli)	2.75 r	1.10 s
4	चाईनिज केबैज (Chinese Cabbage) (heading & non-heading)	2.75 r	0.90 s
5	गांठ गोभी (Knol-Kohl)	2.75 r	1.10 s
	बल्ब वाली फसलें (Bulb Crops)		
1	प्याज (Onion	3.80 r	2.00 r
	जड़ वाली फसलें (Root Crops)		
1	गाजर (Carrot)	2.30 r	1.00 r
2	सेलेरिक (Celeriac)	1.80 r	0.40 s, 0.65 X 0.65 m
3	शकरकंद (Sugarbeet:) Monogerm Multigerm	 9.00 r 9.00 r	 3.00 r 2.50 r
4	गार्डनबीट (Gardenbeet)	9.00 r	3.00 r
5	मूली (Radish)	4.50 r	2.00 r
6	शलजम (Turnip)	1.80 r	1.20 r

r = गोल छिद्र वाली जाली **(Screens with round perforations.)**

s = आयताकार छिद्र वाली जाली **(Screens with slotted (oblong) perforations.)**

m = जाली वाली छलनी **(Wiremesh sieves)**

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

प्रति

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था
भोपाल।

द्वाराः— बीज प्रमाणीकरण अधिकारी..................संभाग।

विषयः— **बीज प्रक्रिया केन्द्र के पंजीयन/नवीनीकरण एक/तीन वर्ष हेतु आवेदन पत्र।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीज प्रमाणीकरण कार्य हेतु हमारी संस्था/समिति/कम्पनी का बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण एक/तीन वर्ष किये जाने हेतु आवश्यक जानकारी निम्नानुसार हैः—

1. बीज प्रक्रिया केन्द्र जिस उत्पादक संस्था का है, नाम..

ग्राम....................पोस्ट............................जिला..

1.1 बीज प्रक्रिया केन्द्र के स्थल की जानकारी ....ग्राम....................................
पोस्ट..................जिला..

सम्पर्क दूरभाष (कोड सहित)——————————मोबाईल क्र.———————————

ई—मेल पताः..

2. बीज प्रक्रिया केन्द्र का भवन/भण्डार गृह (संस्था की कार्यप्रणाली के प्रावधान 14.2 के अनुसार) है या नहीं...

3 बीज प्रक्रिया संयत्रः— किस कंपनी का है...
किस वर्ष निर्मित है...
प्रति घंटा क्षमता..

4 यदि पुराना है तो वर्तमान प्रति घंटा क्षमता...
विद्युत मोटर की अश्व शक्ति..

5 संयंत्र का रेग्यूलेटर तथा फीड कन्ट्रोलर............................हां/नहीं
सही काम कर रहे है या नहीं।

6 उपलब्ध जालियों की संख्या..
जालियों के ब्रश एवं रोलर सही ढंग से काम कर रहे है
या नही...हां/नहीं

7 उपलब्ध जालियों का विवरणः–

क्र.	फसल	किस्म / प्रकार	उपलब्ध जालियों के छेद का माप		कार्य प्रणाली के परिशिष्ट 5 में निर्धारित माप	
			टाप	बॉटम	टाप	बॉटम

8 विद्युत कनेक्शन मिल चुका है या नहीं...............................हां / नहीं
विद्युत के आकस्मिक प्रतिपूर्ति की क्या कोई व्यवस्था है
हां / नहीं यदि हां तो क्या...

9 प्रक्रिया संयंत्र को सही ढंग से आधार बनाकर स्थापित किया
गया है या नहीं...

10 प्रक्रियाकृत बीज के बोरे निकालने एवं बोरे लगाने हेतु सही
व्यवस्था है या नहीं...

11 तुलाई मशीन
किस कंपनी का है..
चालू हालत में है या नहीं.......................हॉ / नहीं..

12 सिलाई मशीन
किस कंपनी का है..
चालू हालत में है या नहीं.......................हॉ / नहीं..

13. आर्द्रता मशीन
किस कंपनी का है..
चालू हालत में है या नहीं.......................हॉ / नहीं..

14. बीज उपचारक .... हॉ / नहीं..

15. एग्जास्ट फैन
किस कंपनी का है..
चालू हालत में है या नहीं.......................हॉ / नहीं..

16. अग्निशामक यंत्र
किस कंपनी का है..
चालू हालत में है या नहीं.......................हॉ / नहीं..

17. बीज प्रक्रिया केन्द्र पर यदि आधुनिक / उन्नत उपकरण हो तो उनका
भी विवरण दिया जाये जैसे...

17.1.1 प्रि–क्लीनरः– (यदि है तो)
किस कंपनी का है..
चालू हालत में है या नहीं.......................हॉ / नहीं..
क्षमता (वर्तमान)...

17.1.2 इन्डेन्टेड सिलेन्डरः– (यदि है तो)
किस कंपनी का है..
चालू हालत में है या नहीं.......................हॉ / नहीं..

क्षमता (वर्तमान)..

17.1.3 ड्रायरः– (यदि है तो)

किस कंपनी का है..
चालू हालत में है या नहीं......................हॉ/नहीं..
क्षमता (वर्तमान)..

18. पर्याप्त वुडन/मैटल/प्लास्टिक पेलैट्स, तारपोलिन, धुर्मीकरण कवर है/नहीं।.......

19.अ–भण्डारण गृह की क्षमता आदि का विवरणः–

स्वयं का है अथवा किराये का...
यदि किराये का है तो मालिक का नाम...
(किरायानामा/अनुबंध संलग्न करें)
भण्डारण क्षमता--
भण्डारित किये जाने वाले/किये गये बीज की मात्रा–---------------------------------------
प्रक्रिया केन्द्र से दूरी...

ब– तीन वर्ष हेतु प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण आवेदन की स्थिति में स्वंय के स्वामित्व के भण्डार गृह में स्थापित स्वंय का प्रक्रिया केन्द्र होने का नोटराइज्ड़ शपथ पत्र (परिशिष्ट–ग) मय अभिलेखो की सत्यापित छायाप्रति सहित संलग्न है/नहीं।...
....

20. प्राथमिक उपचार हेतु क्या व्यवस्था है।

21. <u>शेड</u>

प्रक्रिया के पूर्व अथवा पश्चात सुखाने, तुलाई करने, सिलाई करने, बीज की चुनाई करने आदि की

समुचित व्यवस्था है अथवा नहीं..........यदि व्यवस्था है तो शेड का आकार...

....

22. संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीरकण अधिकारी के के कार्य करने हेतु बैठने की तथा रिकार्ड रखने हेतु समुचित व्यवस्था है या नहीं...

23. गार्ड सेम्पल के उचित रख रखाव की व्यवस्था है?...

24. क्या तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति केन्द्र का प्रबंधक है, प्रबंधक का नाम व योग्यता लिखें।....................
....

25. प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी/मालिक का नाम व हस्ताक्षर

श्री....................
पदनाम...........
दिनांक...........

प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी
उत्पादक संस्था के
प्रतिनिधि अथवा
मालिक के हस्ताक्षर मय सील

बीज प्रक्रिया केन्द्र के पंजीयन हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप व स्पष्ट अनुशंसा

....

....

संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी का अभिमत
स्थानः–
दिनांकः–

परिशिष्ट VII

बीज उपचार के लिए सिफारिश की गई अनुसूची

फसल	रसायन का नाम और इसका संरूपण	रसायन की मात्रा (ग्राम)	उपचार का प्रकार	पानी की मात्रा (लि.)
1	2	3	4	5
खाद्यान्न				
मक्का	थायरम 75: डब्लू.डी.पी. या	70	गा.	1/2
	कैप्टान 75: डब्लू.डी.पी	70	गा.	1/2
धान	थायरम 75: डब्लू.पी या	250	गा.	1/2
	कार्बेण्डेजिम 50: या	250	गा.	1/2
	सिरेसन (एम.ई.एम.सी.)या ई.एम.सी.या	60	गी.	बीज डुबोने के लिये
	ऑर्गेनो–मर्क्यरियल 1:	250	सू.	–
पर्ल मिलेट	थायरम 75: डब्लू.डी.पी. या	75	गा.	1/2
(बाजरा)	थायरम 75: धूल या	300	सू.	–
	कैप्टान 75: धूल	300	सू.	–
	मैटलैक्सिल 35: डब्लू. एस.	600	गा.	–
	' ऑर्गेनो–मर्क्यूरियल 1:	250	सू.	–
	'' ब्राइन	बीज को पूरी	तरह डुबाने	के लिए घोल
ज्वार	थायरम 75: या	85	गा.	1/2
	कैप्टाफॉल	200	गा.	1/2
गेंहू	थायरम 75: डब्लू. डी. पी या	100	गा.	1/2
	मनकॉजेब	200	गा.	1/2
	ऑर्गेनो–मर्क्यूरियल 1:	250	सू.	–
	''कार्बोक्सिन 75: डब्लू.डी. पी या	250	सू.	–
		250	गा.	1/2
	''कार्बेण्डेजिम 50: डब्लू.पी	250	सू.	1/2
दलहन				
चना	कैप्टाफॉल	250	गा.	1/2
उड़द	थायरम 75: धूल या	250	सू	–
	कार्बेण्डेजिम 50: डब्लू.पी	100	गा.	1/2
लोबिया	कैप्टान 75: डब्लू.डी. पी या	100	गा.	1/2
	थायरम 75: धूल	250	सू.	–
मूंग	थायरम 75: डब्लू.डी. पी या	75	गा.	1/2
	कैप्टाफॉल	250	सू.	–
	कार्बेण्डेजिम 50: डब्ल्यू.पी.	100	सू.	–
अरहर	थायरम 75: डब्ल्यू.डी. पी.	175	गा.	1/2
तिलहन				
मूँगफली	कैप्टान 75: धूल या	250	सू.	–
	थायरम 75: डब्ल्यू. डी. पी.	125	गा.	1/2
	कैप्टाफाल	200	सू.	–
रेपसीड व सरसो	कैप्टान 75: धूल या	250	सू.	–
	थायरम 75: डब्ल्यू.डी. पी.	125	गा.	1/2

	कैप्टाफाल	200	सू.	–
सोयाबीन	कैप्टान 75: धूल और	150	सू.	–
	थायरम 75: धूल या	150	–	–
	मनकॉजेब या	300	–	–
	कैप्टाफाल धूल	300	सू.	–
तिल	थायरम 75: धूल	300	सू.	–
सूरजमूखी	थायरम 75: धूल या	250	सू.	–
	मनकॉजेब	250	सू.	–
रेशेवाली फसलें				
कपास	कैप्टान 75: धूल या	250	सू.	–
	थायरम 75: डब्ल्यू.डी. पी.	100	गा.	1/2
	ई. एस .सी., एम. ई. एम. सी.	0.2: घोल में बीज को 6 घंटे तक भिगोयें।		
जूट	कैप्टान 75: डब्ल्यू.डी. पी. या	80	गा.	1/2
	कार्बेन्डेजिम 50: डब्ल्यू.पी.	200	सू.	–
मेस्ता	कैप्टान	250	सू.	–
सनई	थायरम 75: डब्ल्यू.डी. पी.	75	गा.	1/2
चारे वाली फसलें				
बर्सीम	कवकनाशी/कीटनाशी से उपचार न करें	–	–	–
रिजका	थायरम 75: डब्ल्यू.डी. पी.	75	गा.	1/2
जई	थायरम 75: डब्ल्यू.डी. पी.	75	गा.	1/2
सब्जियॉ				
फलीदार	कैप्टान 75: डब्ल्यू.डी. पी. या	100	गा.	1/2
	थायरम 75: धूल	250	सू.	–
चुकंदर	थायरम 75: धूल	250	सू.	–
भिंडी	थायरम 75: डब्ल्यू.डी. पी. या	100	गा.	1/2
	कैप्टान 75: धूल	250	सू.	–
बैंगन	थायरम 75: धूल या	250	सू.	–
	कैप्टान 75: धूल	250	सू.	–
गाजर	थायरम 75: धूल	250	सू.	–
गोभी वर्गीय	थायरम 75: धूल	250	सू.	–
मिर्च व	थायरम 75: धूल या	250	सू.	–
शिमला मिर्च	कैप्टान 75: धूल	250	सू.	–
ग्वार	थायरम 75: डब्ल्यू.डी. पी.	75	गा.	1/2
लोबिया	कैप्टान 75: डब्ल्यू.डी. पी. या	100	गा.	1/2
	थायरम 75: धूल	250	सू.	–
खीरा वगीय	थायरम 75: धूल या	250	सू.	–
	कैप्टान 75: धूल	250	सू.	–
प्याज	थायरम 75: धूल	250	सू.	–
पालक	थायरम 75: धूल	335	सू.	–
मटर	कैप्टान 75: डब्ल्यू.डी. पी. या	100	गा.	1/2
	थायरम 75: धूल	250	सू.	–

मूली	थायरम 75ः धूल	250	सू.	–
चुकन्दर	थायरम 75ः धूल या	250	सू.	–
(चीनी वाली)	कार्बोक्सिन 75ः डब्ल्यू.डी. पी. या			
	कार्बेण्डेजिम 50ः डब्ल्यू.पी.			
टमाटर	थायरम 75ः धूल	335	सू.	–
शलगम	थायरम 75ः धूल	250	सू.	–

टिप्पणीः

1. कालम 2 में बताई गई दवाइयां वरीयता/प्राथमिकता के क्रम में दी गई है।
2. सू. गा. और गी. से तात्पर्य क्रमशः सूखा बुरकना, गारा बनाकर तथा गीला करके बीज उपचार करने से है।
3. सब्जियों के बीजों के उपचार के लिए उपर कालम में 2 वर्णित दवाईयों के न होने पर निम्नलिखित वैक्लपिक दवाईयों की सिफारिश की गई है।

दवाई का नाम	100 कि. ग्रा. बीज के लिए मात्रा (ग्राम में)	उपचार की विधी
कैप्टाफॉल	250	सूखा बुरक कर
मैनकॉजेब	250	सूखा बुरक कर

4. कार्बन–परायुक्त कवकनाशी को सूखा बुरककर बीज का उपचार करने के लिए बीज को थैले/बोरियों में भरने से पूर्व उसका उपचार न करके दवाई की सिफारिश की गई मात्रा प्लास्टिक/कागज के पैकट में भरकर बीज के थैले/बोरी में रख देनी चाहिए तथा किसानों की जानकारी के लिए उसमें यह सूचना लिख देनी चाहिए :''बुवाई से पूर्व थैले/बोरी में रखे बीज को पैकेट में रखी दवाई से बीज उपचार करने वाले ड्रम में उपचारित करें लेकिन यह उपचार किसी भी दशा में बुवाई की तिथि से अधिक पहले न करें।''
5. यदि खेत में प्रमाणीकरण के निर्धारित मानक से अधिक संख्या में दाने कंडे रोग से ग्रस्त पाए जाएं तभी बीज का उपचार करें।
6. यदि खेत में अर्गट रोग प्रमाणीकरण के निर्धारित मानक के अन्दर ही हो तो बीज का उपचार करें। निर्धारित मानक से अधिक अर्गट रोग वाले खेत की फसल अस्वीकार कर दी जाती है। ब्राइन से उपचार के संबंध में विशेश सावधानी यह रखें कि ब्राइन मिश्रण में बीज 5–10 मिनट से अधिक नहीं पड़ा रहना चाहिए। बीजों अर्गट स्कलेरॉटिया हटाने के बाद उस साफ पानी से बार–बार धोएं ताकि ब्राइन मिश्रण बीज के साथ न लगा रह जायें।
7. अनावृत कंड रोग का यह विशेष उपचार है। बीज पैदा करने के लिए रखे गए बीज का ही उपचार करें।
8. ई. एम. सी. – ईथाइल मरकरी क्लोराइड
एम. ई. एम. सी.– मिथॉक्सी ईथाइल क्लोराइड

परिशिष्ट VIII

अधिकतम लॉट का आकार और न्यूनतम नमूना आकार

कार्यकारी आकार नमूना (ग्रा.)

फसल	अधिकतम लाट का आकार (क्वि.)	दिये गये न्यूनतम नमूने (ग्रा.)	शुद्धता विश्लेषण	अन्य प्रजातियों की गणना
1. खाद्यान्न				
जौ	200	1000	120	1000
चीमा	100	150	15	150
रागी	100	100	10	60
तेनाई	100	90	9	90
कुटकी	100	70	7	70
मक्का	400	1000	900	1000
जई	200	1000	100	1000
धान	200	400	40	400
बाजरा	100	250	25	150
कोदो	100	100	10	100
ज्वार	100	900	90	900
गेंहू	200	1000	120	1000
2. दलहन				
उड़द	200	1000	700	1000
लोबिया	200	1000	400	1000
चना	200	1000	1000	1000
मूंग	200	1000	120	1000
खेसरी	200	1000	450	1000
मसूर	100	600	60	600
अरहर	200	1000	300	1000
3. तिलहन				
काली सरसो	100	160	16	160
टलसी	100	300	30	300
सोयाबीन	200	1000	500	1000
अरंडी	200	1000	1000	1000
मूंगफली	200	1000	1000	1000
सरसों/तोरिया	100	160	16	160
कुसुम	100	1000	180	1000
तिल	100	70	7	70
सूरजमुखी	200	1000	250	1000
4. रेशेवाली फसलें				
कपास (संकर)	200	500	350	500
कपास (किस्में)	200	1000	350	1000
पटसन	100	150	15	150
मेस्ता	100	700	70	700
सनई	100	700	70	700
5. चारे वाली फसलें				
बरसीम	100	60	6	60
रिजका	100	50	5	50

सूडानघास	100	250	25	250
मकचरी	200	1000	900	1000
6. सब्जियां				
(क) चौलाई	100	70	7	70
चाइनीज बंद गोभी	100	40	4	40
मेथी	100	40	4	40
सलाद	100	30	3	30
पालक	100	500	50	500
(ख) पेठा	200	700	70	700
करेला	200	1000	450	1000
लौकी	200	700	70	700
खीरा	100	150	70	150
ककड़ी	100	150	70	150
खरबूजा	100	150	70	150
काशीफल	100	350	180	350
काली तोरी	200	1000	400	1000
टिण्डा	200	1000	250	1000
चिकना तोरी	200	1000	350	1000
तरबूज	200	1000	250	1000
चप्पन कद्दू	200	1000	700	1000
विलायती कद्दू	200	1000	700	1000
(ग) जड़वाली (सभी)	200	500	50	500
गाजर	100	30	3	30
मूली	100	300	30	300
शलजम	100	70	7	70
(घ) भिंडी	200	1000	140	1000
बैंगन,शिमला मिर्च,				
मिर्च	100	150	15	150
टमाटर	100	70	7	70
(ड.) बटन गोभी बंदगोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, करमसाग, गांठगोभी, खोल रबी, सप्राउटिंग ब्रोकली	100	100	10	100
(च) ग्वार	200	800	80	800
सेम	200	1000	600	1000
फ्रेंचबीन	200	1000	1000	1000
मटर	200	1000	1000	1000
(छ) प्याज	100	80	80	80
7. अन्य				
चिकोरी	100	50	5	50

परिशिष्ट **IX**

अग्रिम टेगिंग हेतु करारनामा

शपथकर्ता : उत्पादक संस्था प्रमुख का नाम व पता.........

शपथग्रहिता : बीज प्रमाणीकरण अधिकारी..
म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था..................................

मै हस्ताक्षरकर्ता नाम.................................पद..............................केन्द्र............जिला......... आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे उपरोक्त केन्द्र पर फसल................. किस्म................की मात्रा.............क्वि. असंसाधित बीज (सूची संलग्न) प्रक्रिया कर अग्रिम टैगिंग करना चाहते है जिसके लिये आवश्यक करारनामा प्रस्तुत है।

इस कार्य के लिये मै स्वयं/ मेरी संस्था के श्री.......................................पद............ को प्रमाणीकरण संस्था के अग्रिम प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने, अग्रिम टैगिंग के लाट के रख रखाव व अग्रिम टैगिंग किया हुआ कोई भी लाट अमानक पाया जाता है, तो उन लाट्स के जारी टैग्स को वापस करने हेतु वचनबद्ध हूँ। यदि बीज उत्पादक संस्था द्वारा इस कार्य के कारण कोई त्रुटि/विवाद होता है तो सम्पूर्ण जवाबदारी हमारी होगी।

एडवांस टैगिंग के पश्चात इन लाट्स को पता...स्थान................पर भण्डारित किया जायेगा। जब तक इन लाट्स के अन्तिम प्रमाणपत्र संस्था द्वारा जारी नहीं कर दिये जायेगे या प्रमाणीकरण संस्था द्वारा लिखित अनुमति नहीं दी जावेगी, तब तक हम ना तो इन लाट्स को इस स्थान से हटायेगे और न ही इनका विक्रय करेगे। हम प्रमाणीकरण संस्था के अग्रिम टेंगिग हेतु निर्धारित किये गये समस्त नियमों एवं शर्तो का पालन करने का वचन देते है। इस हेतु करारनामा प्रस्तुत है।

दिनांक............

हस्ताक्षर शपथकर्ता..
उत्पादक संस्था का नाम...................................
पता..

.

परिशिष्ट X

अग्रिम टैगिंग प्रमाण–पत्र

मैसर्स ....प्रक्रिया केन्द्र.................क्रमांक................के नमूना पत्र क्रमांक............दिनांक..... ....फसल..............किस्म................श्रेणी........लाट क्रमांक.....................टैग क्रमांक.............से ....तक कुल संख्या.............कुल थैलियों की संख्या..............पैकिंग साईज प्रति बैग................कि.ग्रा, कुल मात्रा.................. क्विंटल का अग्रिम टैगिंग किया गया। जब तक इस लाट के बीज परीक्षण परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते इस लाट को न तो भण्डारित स्थान से हटाऊँगा न ही विपणन करूँगा। यदि यह लाट बीज परीक्षण परिणाम में अमानक पाया जाता है तो समस्त टैग प्रमाणीकरण संस्था को वापस करने की जवाबदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर ....
नाम...
उत्पादक संस्था/उत्पादक संस्था द्वारा अधिकृत अधिकारी
पता..
मोहर

हस्ताक्षर
उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी

(रूपये 50/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड)

शपथ पत्र (Affidavit)

म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में बीज उत्पादक संस्था एवं बीज प्रक्रिया केन्द्र पंजीयन/नवीनीकरण 3 वर्ष के लिये किये जाने हेतु स्वयं का भण्डारगृह एवं उसमें स्वंय का बीज प्रक्रिया केन्द्र स्थापित होने का शपथ पत्र

मैं (शपथकर्ता का नाम) .... पिता/पति का नाम... पता .... शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं बीज उत्पादक फर्म/संस्था/कम्पनी/समिति/शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम/अन्य ....का मालिक/भागीदार/अध्यक्ष/संचालक/प्रभारी अधिकारी हूँ।

1– मेरी/हमारी फर्म/संस्था/कम्पनी/समिति/शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम/ अन्य................. .... के स्वामित्व का भण्डारगृह ग्राम ....पोस्ट ....तहसील .... जिला.................................में स्थित है। जिसके सत्यापित अभिलेख संलग्न हैं एवं उपरोक्त भण्डारगृह में स्थापित बीज प्रक्रिया केन्द्र भी मेरे/हमारी फर्म/ संस्था/कम्पनी/समिति/शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम/अन्य... ....के स्वामित्व का है।

2– उक्त भण्डारगृह का माप..एवं भण्डारण क्षमता..................................... ....क्विंटल है। भण्डारगृह का लोकेशन मेप व मानचित्र संलग्न है।

3– मेरे द्वारा उक्त भण्डारगृह एवं बीज प्रक्रिया केन्द्र का उपयोग बीज प्रमाणीकरण कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु नहीं किया जावेगा।

4– उक्त जानकारी/अभिलेख असत्य पाये जाने की स्थिति में म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था निर्धारित नियमों के तहत मेरे विरूद्ध कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर
(शपथ गृहीता)
नाम...
पता...
उत्पादक संस्था का नाम..................................
(मोहर सहित)

(रूपये 50/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड)

शपथ पत्र (Affidavit)

म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु फसल पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे समस्त अभिलेख सही एवं प्रमाणिक होने का शपथ पत्र

मैं (शपथकर्ता का नाम) .... पिता/पति का नाम.. पता .... शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूॅ कि मैं बीज उत्पादक फर्म/संस्था/कम्पनी/समिति/शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम/अन्य ....का मालिक/भागीदार/अध्यक्ष/संचालक/प्रभारी अधिकारी हूॅ।

1– मेरी/हमारी फर्म/संस्था/कम्पनी/समिति/शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम/ अन्य................. ....द्वारा खरीफ................../रबी....... ..../ग्रीष्म......................में कुल ....बीज उत्पादक कृषकों के यहां बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित किया जाकर ....हेक्टेयर क्षेत्र के पंजीयन हेतु फसल पंजीयन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है।

2– मेरे/हमारे द्वारा आवेदित कुल ....बीज उत्पादक कृषकों के आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त अभिलेख जैसे बीज प्रदाय के बिल/चालान, कृषकों के भू अधिपत्य से संबंधित अभिलेख आदि एवं बीज स्त्रोत सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे अन्य समस्त अभिलेख प्रमाणिक व सही है।

3– उक्त जानकारी/अभिलेख असत्य पाये जाने की स्थिति में म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था निर्धारित नियमों के तहत मेरे विरूद्ध कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर
(शपथ गृहीता)

नाम...
(उत्पादक संस्था/बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी का नाम)
पता...
(उत्पादक संस्था की मोहर सहित)